

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246] No. 246] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 25, 2016/ श्रावण 3, 1938

NEW DELHI, MONDAY, JULY 25, 2016/ SRAVANA 3, 1938

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2016

सं.1-2/2016-आईसी.— भारत सरकार ने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग (आयोग) का गठन 28 फरवरी, 2014 के संकल्प सं.1/1/2013-ई.Ш (ए) के तहत किया था। आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की अवधि 8 सितंबर, 2015 के संकल्प सं.1/1/2013-ई.Ш (ए) के तहत 31 दिसंबर, 2015 तक बढ़ा दी गई थी। आयोग ने 28 फरवरी, 2014 के उपर्युक्त संकल्प में यथा-विनिर्दिष्ट अपने विचारार्थ-विषयों में शामिल मामलों पर अपनी रिपोर्ट 19 नवम्बर, 2015 को प्रस्तुत की।

- 2. सरकार ने, विचार-विमर्श के पश्चात्, 28 फरवरी, 2014 के उपर्युक्त संकल्प में निहित विचारार्थ-विषयों में शामिल वर्गों के कर्मचारियों के संबंध में आयोग की सिफारिशें, इसमें आगे विनिर्दिष्ट रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया है।
- 3. सरकार ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वेतन के साथ समानता बनाए रखने की दृष्टि से रक्षा वेतन मैट्रिक्स में निम्नलिखित अपवादों के साथ न्यूनतम वेतन, फिटमेंट गुणांक, पुनर्गठन सूचकांक, वेतन मैट्रिक्स के संबंध में और वेतन के संबंध में आयोग की आम सिफारिशें किसी बड़े परिवर्तन के बगैर स्वीकार कर ली हैं:-
 - (i) रक्षा वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13ए (ब्रिगेडियर) का पुनर्गठन सूचकांक 2.57 से बढ़ाकर 2.67 कर दिया जाए।
 - (ii) रक्षा वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12ए (लेफ्टिनेंट कर्नल) में 3 अतिरिक्त प्रक्रम, लेवल 13 (कर्नल) में 3 प्रक्रम और लेवल 13ए (ब्रिगेडियर) में 2 प्रक्रम उपयुक्त रूप से जोड़े जाएं।

3728 GI/2016 (1)

- 4. (1) इस संकल्प के अधिसूचित किए जाने से ठीक पहले, सिविल कर्मचारियों के संबंध में लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के स्थान पर वेतन मैट्रिक्स उपाबंध-I में यथा-विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स होगा।
- (2) जहां तक 01 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार नए वेतन मैट्रिक्स में किसी कर्मचारी के वेतन निर्धारण का संबंध है, तो 31 दिसंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार संशोधन-पूर्व संरचना में विद्यमान वेतन (वेतन बैंड में वेतन जमा ग्रेड वेतन) को 2.57 के गुणांक से गुणा किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त राशि, नए वेतन मैट्रिक्स में कर्मचारी के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के अनुरूपी लेवल में तलाशी जानी है। यदि इस प्रकार प्राप्त राशि के समरूप कोई कोष्ठिका समुचित लेवल में उपलब्ध है तो उसी कोष्ठिका को संशोधित वेतन माना जाएगा; अन्यथा उस लेवल में अगली उच्चतर कोष्ठिका को कर्मचारी का संशोधित वेतन माना जाएगा।
- (3) उक्त उप-पैरा (2) में यथा-विनिर्दिष्ट उपयुक्त लेवल में वेतन के निर्धारण के पश्चात् उसी लेवल में अगली वेतन वृद्धि, उस लेवल में दी गई उससे ठीक अगली कोष्ठिका में दी जाएगी।
- 5. विद्यमान 01 जुलाई की तारीख के बजाए वेतन वृद्धि दिए जाने की दो तारीखें होंगी नामत: प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई; शर्त यह है कि नियुक्ति, पदोन्नित अथवा वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किए जाने की तारीख पर निर्भर करते हुए कोई कर्मचारी इन दो तारीखों में से केवल किसी एक तारीख पर वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त कर सकेगा।
- 6. केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के कार्मिकों के लिए संशोधित वेतन संरचना के संबंध में आयोग की सिफारिशें और उन पर सरकार का उपाबंध-I में यथा-उल्लिखित निर्णय तथा उपाबंध-II में यथा-उल्लिखित परिणामी वेतन निर्धारण, 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगा। इस मद में बकाया राशि का भुगतान वित्त वर्ष 2016-17 में किया जाएगा।
- 7. भत्तों (महंगाई भत्ते को छोड़कर) से संबंधित सिफारिशें वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में गठित एक समिति को भेजी जाएंगी जिसमें गृह, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, डाक विभाग के सचिव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल होंगे। समिति चार माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक, सभी भत्तों का भुगतान वर्तमान वेतन संरचना में विद्यमान दरों पर किया जाता रहेगा मानो कि वेतन 01 जनवरी, 2016 से संशोधित ही न किया गया हो।
- 8. ब्याज-युक्त अग्रिमों और ब्याज-मुक्त अग्रिमों के संबंध में आयोग की सिफारिशें इस अपवाद के साथ स्वीकार कर ली गई हैं कि चिकित्सा उपचार, मृतक के परिवार के लिए यात्रा भत्ते, दौरे अथवा स्थानांतरण पर यात्रा भत्ते और छुट्टी यात्रा रियायत के लिए ब्याज मुक्त अग्रिम जारी रखे जाएंगे।
- 9. विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना में मासिक अंशदान की दरों में वृद्धि की आयोग की सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है। मासिक अंशदान की विद्यमान दरें जारी रहेंगी। व्यय विभाग और वित्तीय सेवाएं विभाग केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक उपयुक्त सामूहिक बीमा योजना तैयार करेंगे।
- 10. सरकार ने उन पदों जिनका उल्लेख उपाबंध-III में किया गया है, को छोड़कर, पदों के उन्नयन के संबंध में आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। उन्नयन के संबंध में उपाबंध-III में वर्णित सिफारिशों की जांच कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अलग से की जाएगी ताकि इस मामले पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

- 11. सरकार ने पदावनति संबंधी आयोग की सिफारिशें स्वीकार नहीं की हैं और ऐसे मामलों में सामान्य प्रतिस्थापन दिया जाएगा।
- 12. चिकित्सकों जिनके लिए प्रैक्टिसबंदी भत्ता स्वीकार्य है और रेलवे कर्मचारियों जिनके लिए चलन भत्ता स्वीकार्य है, के वेतन संशोधित करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रारंभिक निर्धारण के समय वेतन में वास्तविक वृद्धि आयोग द्वारा यथा-संस्तुत लगभग 14.29% हो।
- 13. केन्द्रीय स्टॉफिंग स्कीम के तहत प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों की वेतन-रक्षा की जाएगी और उन्हें वेतन में अंतर का भुगतान अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से व्यक्तिगत वेतन के रूप में किया जाएगा।
- 14. ऐसी सिफारिशों जो वेतन, पेंशन एवं भत्तों से संबंधित नहीं हैं, की जांच तथा विभागों/संवर्गों/पदों से विशिष्ट तौर पर जुड़े अन्य प्रशासनिक मुद्दों संबंधी सिफारिशों की जांच संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्य आबंटन नियमों/कारबार संव्यवहार नियमों के अनुसार की जाएगी। जब तक (i) भारतीय पुलिस सेवा/ भारतीय वन सेवा और संगठित समूह "क" सेवाओं में वर्तमान में स्वीकार्य गैर-कार्यात्मक उन्नयन, (ii) केन्द्रीय स्टॉफिंग स्कीम के तहत पैनल में शामिल किए जाने के संदर्भ में अन्य अखिल भारतीय सेवाओं/संगठित समूह "क" सेवाओं की तुलना में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दो वर्ष की अग्रता, (iii) भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा के बराबर सीनियर टाइम स्केल, जूनियर एडिमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड और सेलेक्शन ग्रेड में दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने, (iv) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सभी रैंक के लिए एक समान सेवानिवृति आयु से संबंधित प्रशासनिक मुद्दों जिन पर आयोग सर्वसम्मित नहीं बना सका है, के बारे में सरकार द्वारा निर्णय नहीं ले लिया जाता, तब तक यथा स्थिति बनी रहेगी।
- 15. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के कार्यान्वयन को सुचारू बनाने के उपाय सुझाने के लिए सचिवों की एक सिमित का गठन किया जाएगा जिसमें कार्मिक और प्रशिक्षण, वित्तीय सेवाएं तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सिचव शामिल होंगे।
- 16. आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न व्यक्तिगत, पद-विशिष्ट और संवर्ग-विशिष्ट विसंगतियों की जांच के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा विसंगति समितियों का गठन किया जाएगा।
- 17. अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित वेतन और उससे जुड़े मामलों के बारे में उचित कार्रवाई कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा की जाएगी जिससे कि इन मामलों में लिये गए तथा उन सेवाओं पर प्रयोज्य निर्णयों को लागू किया जा सके।
- 18. भारत सरकार, आयोग द्वारा किए गए कार्य के लिए आयोग की सराहना करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों तथा अन्य सभी संबंधित पक्षों को भेजी जाए।

आर.के. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

उपाबंध– I

वेतन मैट्रिक्स

वेतन बैंड			5200-2020	0			9300-3	4800		1	5600-3910	0	3	7400-6700	0	67000- 79000	75500- 80000	80000	90000
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400	5400	6600	7600	8700	8900	10000				
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13क	14	15	16	17	18
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100	56100	67700	78800	118500	131100	144200	182200	205400	225000	250000
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700	57800	69700	81200	122100	135000	148500	187700	211600		
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300	59500	71800	83600	125800	139100	153000	193300	217900		
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000	61300	74000	86100	129600	143300	157600	199100	224400		
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700	63100	76200	88700	133500	147600	162300	205100			
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500	65000	78500	91400	137500	152000	167200	211300			
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300	67000	80900	94100	141600	156600	172200	217600			
8	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	65200	69000	83300	96900	145800	161300	177400	224100			
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200	71100	85800	99800	150200	166100	182700				
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200	73200	88400	102800	154700	171100	188200				
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300	75400	91100	105900	159300	176200	193800				
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400	77700	93800	109100	164100	181500	199600				
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600	80000	96600	112400	169000	186900	205600				
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900	82400	99500	115800	174100	192500	211800				
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200	84900	102500	119300	179300	198300	218200				
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600	87400	105600	122900	184700	204200					
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100	90000	108800	126600	190200	210300					
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700	92700	112100	130400	195900	216600					
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300	95500	115500	134300	201800						
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000	98400	119000	138300	207900						
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800	101400	122600	142400	214100						
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700	104400	126300	146700							
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700	107500	130100	151100							
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800	110700	134000	155600						_	
25	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900	114000	138000	160300							
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100	117400	142100	165100		_					
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400	120900	146400	170100							
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800	124500	150800	175200							
29	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300	128200	155300	180500							

[भाग ।—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण

वेतन बैंड			5200-2020	0			9300-3	4800		1	5600-3910	0	3	7400-67000)	67000- 79000	75500- 80000	80000	90000
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400	5400	6600	7600	8700	8900	10000				
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13क	14	15	16	17	18
30	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900	132000	160000	185900							
31	43600	48500	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600	136000	164800	191500							
32	44900	50000	54600	64000	72800	88700	112400	119300	132500	140100	169700	197200							
33	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115800	122900	136500	144300	174800	203100							
34	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126600	140600	148600	180000	209200							
35	49000	54600	59600	69900	79600	96900	122900	130400	144800	153100	185400								
36	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100	157700	191000								j
37	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	138300	153600	162400	196700								ı
38	53600	59600	65100	76400	87000	105900	134300	142400	158200	167300	202600				·				
39	55200	61400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900	172300	208700								
40	56900	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800	177500									

उपाबंध-II

समूह 'क', 'ख' और 'ग' के सिविल कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के कार्मिकों से संबंधित वेतन के बारे में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों और उन पर सरकार के निर्णयों को दर्शाने वाला विवरण।

I. संशोधित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण:

रिपोर्ट के पैरा 5.1.30 में निर्धारित विधि से संशोधित वित्त संरचना में निर्धारित किया जाए। वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। निर्धारण का कोई अवसर मौजू नहीं है।	क्र. सं.	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश	सरकार का निर्णय
2. वेतन मैट्रिक्स के दो आयाम हैं - इसकी क्षैतिज परास जिसमें 1, 2, 3 से लेकर 18 तक संख्या दी गई है और जिसका प्रत्येक लेवल 'पद क्रम में कार्यात्मक भूमिका' के अनुरूप तय है तथा 'लम्बवत् परास' जिसमें 'वेतन अनुक्रम' दर्शाया गया है। इनसे वार्षिक वित्तीय अनुक्रम के सोपानों का पता चलता है (रिपोर्ट का पैरा सं. 5.1.21) 3. भर्ती होने पर, कर्मचारी किसी लेवल विशेष पर कार्यभार यहण करता है और लम्बवत् परास के अनुसार उसी लेवल में आगे बढ़ता है। सामान्यत: यह संचलन, उसकी अगली पदोन्नति के समय तक वार्षिक वेतन वृद्धियों के आधार पर वार्षिक आधार पर वार्षिक आधार पर होता रहता है (रिपोर्ट का पैरा 5.1.22) 4. 2.57 का फिटमेंट गुणांक सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जाए (रिपोर्ट का पैरा 5.1.28 और 5.1.29 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। 6. आयोग द्वारा संस्तुत पदों के उन्तयन के मामले में वेतन, रिपोर्ट के पैरा 5.1.30 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारिण का कोई अवसर मौजू नहीं है।	1.	01.01.2016 से सरकार में न्यूनतम वेतन 18000 रुपए	स्वीकृत
जिसमें 1, 2, 3 से लेकर 18 तक संख्या दी गई है और जिसका प्रत्येक लेवल 'पद क्रम में कार्यात्मक भूमिका' के अनुरूप तय है तथा 'लम्बवत् परास' जिसमें 'वेतन अनुक्रम' दर्शाया गया है। इनसे वार्षिक वित्तीय अनुक्रम के सोपानों का पता चलता है (रिपोर्ट का पैरा सं. 5.1.21) 3. भर्ती होने पर, कर्मचारी किसी लेवल विशेष पर कार्यभार ग्रहण करता है और लम्बवत् परास के अनुसार उसी लेवल में आगे बढ़ता है। सामान्यत: यह संचलन, उसकी अगली पदोन्नति के समय तक वार्षिक वेतन वृद्धियों के आधार पर वार्षिक आधार पर होता रहता है (रिपोर्ट का पैरा 5.1.22) 4. 2.57 का फिटमेंट गुणांक सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जाए (रिपोर्ट का पैरा 5.1.27) 5. कर्मचारियों का वेतन रिपोर्ट के पैरा 5.1.28 और 5.1.29 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। 6. आयोग द्वारा संस्तुत पदों के उन्नयन के मामले में वेतन, रिपोर्ट के पैरा 5.1.30 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए।		प्रति माह (रिपोर्ट का पैरा 4.2.13)	_
जिसका प्रत्येक लेवल 'पद क्रम में कार्यात्मक भूमिका' के अनुरूप तय है तथा 'लम्बवत् परास' जिसमें 'वेतन अनुक्रम' दर्शाया गया है। इनसे वार्षिक वित्तीय अनुक्रम के सोपानों का पता चलता है (रिपोर्ट का पैरा सं. 5.1.21) 3. भर्ती होने पर, कर्मचारी किसी लेवल विशेष पर कार्यभार ग्रहण करता है और लम्बवत् परास के अनुसार उसी लेवल में आगे बढ़ता है। सामान्यतः यह संचलन, उसकी अगली पदोन्नति के समय तक वार्षिक वेतन वृद्धियों के आधार पर वार्षिक आधार पर होता रहता है (रिपोर्ट का पैरा 5.1.22) 4. 2.57 का फिटमेंट गुणांक सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जाए (रिपोर्ट का पैरा 5.1.27) 5. कर्मचारियों का वेतन रिपोर्ट के पैरा 5.1.28 और 5.1.29 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। 6. आयोग द्वारा संस्तुत पदों के उन्नयन के मामले में वेतन, रिपोर्ट के पैरा 5.1.30 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए।	2.	वेतन मैट्रिक्स के दो आयाम हैं - इसकी क्षैतिज परास	स्वीकृत
अनुरूप तय है तथा 'लम्बवत् परास' जिसमें 'वेतन अनुक्रम' दर्शाया गया है। इनसे वार्षिक वित्तीय अनुक्रम के सोपानों का पता चलता है (रिपोर्ट का पैरा सं. 5.1.21) 3. भर्ती होने पर, कर्मचारी किसी लेवल विशेष पर कार्यभार ग्रहण करता है और लम्बवत् परास के अनुसार उसी लेवल में आगे बढ़ता है। सामान्यत: यह संचलन, उसकी अगली पदोन्नित के समय तक वार्षिक वेतन वृद्धियों के आधार पर वार्षिक आधार पर होता रहता है (रिपोर्ट का पैरा 5.1.22) 4. 2.57 का फिटमेंट गुणांक सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जाए (रिपोर्ट का पैरा 5.1.27) 5. कर्मचारियों का वेतन रिपोर्ट के पैरा 5.1.28 और 5.1.29 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। 6. आयोग द्वारा संस्तुत पदों के उन्नयन के मामले में वेतन, रिपोर्ट के पैरा 5.1.30 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। 6. अयोग द्वारा संस्तुत पदों के उन्नयन के मामले में वेतन, तेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। 6. अयोग हारा संस्तुत पदों के उन्नयन के मामले में वेतन, निर्धारण का कोई अवसर मौजूनहीं है।		जिसमें 1, 2, 3 से लेकर 18 तक संख्या दी गई है और	
दर्शाया गया है। इनसे वार्षिक वित्तीय अनुक्रम के सोपानों का पता चलता है (रिपोर्ट का पैरा सं. 5.1.21) 3. भर्ती होने पर, कर्मचारी किसी लेवल विशेष पर कार्यभार प्रहण करता है और लम्बवत् परास के अनुसार उसी लेवल में आगे बढ़ता है। सामान्यत: यह संचलन, उसकी अगली पदोन्नित के समय तक वार्षिक वेतन वृद्धियों के आधार पर वार्षिक आधार पर होता रहता है (रिपोर्ट का पैरा 5.1.22) 4. 2.57 का फिटमेंट गुणांक सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जाए (रिपोर्ट का पैरा 5.1.27) 5. कर्मचारियों का वेतन रिपोर्ट के पैरा 5.1.28 और 5.1.29 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। 6. आयोग द्वारा संस्तुत पदों के उन्नयन के मामले में वेतन, रिपोर्ट के पैरा 5.1.30 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में लिर्धारण का कोई अवसर मौजू नहीं है।		जिसका प्रत्येक लेवल 'पद क्रम में कार्यात्मक भूमिका' के	
का पता चलता है (रिपोर्ट का पैरा सं. 5.1.21) 3. भर्ती होने पर, कर्मचारी किसी लेवल विशेष पर कार्यभार ग्रहण करता है और लम्बवत् परास के अनुसार उसी लेवल में आगे बढ़ता है। सामान्यत: यह संचलन, उसकी अगली पदोन्नति के समय तक वार्षिक वेतन वृद्धियों के आधार पर वार्षिक आधार पर होता रहता है (रिपोर्ट का पैरा 5.1.22) 4. 2.57 का फिटमेंट गुणांक सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जाए (रिपोर्ट का पैरा 5.1.27) 5. कर्मचारियों का वेतन रिपोर्ट के पैरा 5.1.28 और 5.1.29 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। 6. आयोग द्वारा संस्तुत पदों के उन्नयन के मामले में वेतन, रिपोर्ट के पैरा 5.1.30 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए।		अनुरूप तय है तथा 'लम्बवत् परास' जिसमें 'वेतन अनुक्रम'	
 अर्ती होने पर, कर्मचारी किसी लेवल विशेष पर कार्यभार ग्रहण करता है और लम्बवत् परास के अनुसार उसी लेवल में आगे बढ़ता है। सामान्यतः यह संचलन, उसकी अगली पदोन्नित के समय तक वार्षिक वेतन वृद्धियों के आधार पर वार्षिक आधार पर होता रहता है (रिपोर्ट का पैरा 5.1.22) 2.57 का फिटमेंट गुणांक सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जाए (रिपोर्ट का पैरा 5.1.27) कर्मचारियों का वेतन रिपोर्ट के पैरा 5.1.28 और 5.1.29 मं निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। आयोग द्वारा संस्तुत पदों के उन्नयन के मामले में वेतन, रिपोर्ट के पैरा 5.1.30 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में लिधित स्वीकृत। पदावनित संबंध से तिन संरचना में निर्धारित किया जाए। 		,	
ग्रहण करता है और लम्बवत् परास के अनुसार उसी लेवल में आगे बढ़ता है। सामान्यत: यह संचलन, उसकी अगली पदोन्नति के समय तक वार्षिक वेतन वृद्धियों के आधार पर वार्षिक आधार पर होता रहता है (रिपोर्ट का पैरा 5.1.22) 4. 2.57 का फिटमेंट गुणांक सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जाए (रिपोर्ट का पैरा 5.1.27) 5. कर्मचारियों का वेतन रिपोर्ट के पैरा 5.1.28 और 5.1.29 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। 6. आयोग द्वारा संस्तुत पदों के उन्नयन के मामले में वेतन, रिपोर्ट के पैरा 5.1.30 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। 6. कर्मचारियों का वेतन रिपोर्ट के पैरा के उन्नयन के मामले में वेतन, रिपोर्ट के पैरा 5.1.30 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए।		का पता चलता है (रिपोर्ट का पैरा सं. 5.1.21)	
में आगे बढ़ता है। सामान्यत: यह संचलन, उसकी अगली पदोन्नित के समय तक वार्षिक वेतन वृद्धियों के आधार पर वार्षिक आधार पर होता रहता है (रिपोर्ट का पैरा 5.1.22) 4. 2.57 का फिटमेंट गुणांक सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जाए (रिपोर्ट का पैरा 5.1.27) 5. कर्मचारियों का वेतन रिपोर्ट के पैरा 5.1.28 और 5.1.29 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। 6. आयोग द्वारा संस्तुत पदों के उन्नयन के मामले में वेतन, रिपोर्ट के पैरा 5.1.30 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। 6. जायोग द्वारा संस्तुत पदों के उन्नयन के मामले में वेतन, रिपोर्ट के पैरा 5.1.30 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए।	3.	भर्ती होने पर, कर्मचारी किसी लेवल विशेष पर कार्यभार	स्वीकृत
पदोन्नित के समय तक वार्षिक वेतन वृद्धियों के आधार पर वार्षिक आधार पर होता रहता है (रिपोर्ट का पैरा 5.1.22) 4. 2.57 का फिटमेंट गुणांक सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जाए (रिपोर्ट का पैरा 5.1.27) 5. कर्मचारियों का वेतन रिपोर्ट के पैरा 5.1.28 और 5.1.29 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। 6. आयोग द्वारा संस्तुत पदों के उन्नयन के मामले में वेतन, रिपोर्ट के पैरा 5.1.30 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। की परा 5.1.30 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। की परा 5.1.30 में निर्धारित किया जाए।		ग्रहण करता है और लम्बवत् परास के अनुसार उसी लेवल	
वार्षिक आधार पर होता रहता है (रिपोर्ट का पैरा 5.1.22) 4. 2.57 का फिटमेंट गुणांक सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जाए (रिपोर्ट का पैरा 5.1.27) 5. कर्मचारियों का वेतन रिपोर्ट के पैरा 5.1.28 और 5.1.29 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। 6. आयोग द्वारा संस्तुत पदों के उन्नयन के मामले में वेतन, रिपोर्ट के पैरा 5.1.30 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। कर्मचारियों का वेतन संरचना के मामले में वेतन, रिपोर्ट के पैरा 5.1.30 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। कर्मचारियों का वेतन संविकृत पदावनित संबंधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए।		में आगे बढ़ता है। सामान्यत: यह संचलन, उसकी अगली	
5.1.22) 4. 2.57 का फिटमेंट गुणांक सभी कर्मचारियों पर समान रूप सेवीकृत स्वीकृत हे. कर्मचारियों का वेतन रिपोर्ट के पैरा 5.1.28 और 5.1.29 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। स्वीकृत 6. आयोग द्वारा संस्तुत पदों के उन्नयन के मामले में वेतन, रिपोर्ट के पैरा 5.1.30 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। स्वीकृत। पदावनति संबंधि सिफारिश स्वीकार नहीं की गण्या और इसीलिए, पदावनति पर वेतन निर्धारण का कोई अवसर मौजूर नहीं है।		पदोन्नति के समय तक वार्षिक वेतन वृद्धियों के आधार पर	
 4. 2.57 का फिटमेंट गुणांक सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जाए (रिपोर्ट का पैरा 5.1.27) 5. कर्मचारियों का वेतन रिपोर्ट के पैरा 5.1.28 और 5.1.29 स्वीकृत में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। 6. आयोग द्वारा संस्तुत पदों के उन्नयन के मामले में वेतन, रिपोर्ट के पैरा 5.1.30 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। और इसीलिए, पदावनति पर वेतन निर्धारण का कोई अवसर मौजूर नहीं है। 		वार्षिक आधार पर होता रहता है (रिपोर्ट का पैरा	
से लागू किया जाए (रिपोर्ट का पैरा 5.1.27) 5. कर्मचारियों का वेतन रिपोर्ट के पैरा 5.1.28 और 5.1.29 स्वीकृत में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। 6. आयोग द्वारा संस्तुत पदों के उन्नयन के मामले में वेतन, रिपोर्ट के पैरा 5.1.30 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। कर्मचारियों का वेतन संविकृत। पदावनित संबंधि सिफारिश स्वीकार नहीं की गण्या और इसीलिए, पदावनित पर वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। कर्मचारियों का वेतन संविकृत। स्वीकृत। स्वीकृत। पदावनित संबंधि सिफारिश स्वीकार नहीं की गण्या और इसीलिए, पदावनित पर वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए।		5.1.22)	
 5. कर्मचारियों का वेतन रिपोर्ट के पैरा 5.1.28 और 5.1.29 स्वीकृत में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। 6. आयोग द्वारा संस्तुत पदों के उन्नयन के मामले में वेतन, रिपोर्ट के पैरा 5.1.30 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। कर्मचारियों का वेतन रिपोर्ट के पैरा 5.1.28 और उन्नयन में निर्धारित किया जाए। कर्मचारियों का वेतन संरचनति पर वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। कर्मचारियों का वेतन संरचनति पर वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। 	4.	2.57 का फिटमेंट गुणांक सभी कर्मचारियों पर समान रूप	स्वीकृत
में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। 6. आयोग द्वारा संस्तुत पदों के उन्नयन के मामले में वेतन, रिपोर्ट के पैरा 5.1.30 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। के पर के पर किया जाए। के पर के किया जाए। के पर के किया जाए। किया जाए। के किया जाए।		से लागू किया जाए (रिपोर्ट का पैरा 5.1.27)	
किया जाए। 6. आयोग द्वारा संस्तुत पदों के उन्नयन के मामले में वेतन, स्वीकृत। पदावनित संबंध रिपोर्ट के पैरा 5.1.30 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। जौर इसीलिए, पदावनित पर वेतन निर्धारण का कोई अवसर मौजूर नहीं है।	5.	कर्मचारियों का वेतन रिपोर्ट के पैरा 5.1.28 और 5.1.29	स्वीकृत
6. आयोग द्वारा संस्तुत पदों के उन्नयन के मामले में वेतन, रिपोर्ट के पैरा 5.1.30 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। और इसीलिए, पदावनित पर वेतन हीं है।		में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित	
रिपोर्ट के पैरा 5.1.30 में निर्धारित विधि से संशोधित सिफारिश स्वीकार नहीं की गर्वतन संरचना में निर्धारित किया जाए। और इसीलिए, पदावनित पर वेतर निर्धारण का कोई अवसर मौजू नहीं है।		किया जाए।	
वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। और इसीलिए, पदावनित पर वेतन् निर्धारण का कोई अवसर मौजू नहीं है।	6.	आयोग द्वारा संस्तुत पदों के उन्नयन के मामले में वेतन,	
निर्धारण का कोई अवसर मौजू नहीं है।		रिपोर्ट के पैरा 5.1.30 में निर्धारित विधि से संशोधित	सिफारिश स्वीकार नहीं की गई
नहीं है।		वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए।	और इसीलिए, पदावनति पर वेतन
			निर्धारण का कोई अवसर मौजूद
7 सीधी भर्ती से आए कार्मिकों का वेतन उस लेवल जिस पर स्वीकृत			नहीं है।
···	7.	सीधी भर्ती से आए कार्मिकों का वेतन उस लेवल जिस पर	स्वीकृत

	उनकी भर्ती की गई है, में दिए गए अनुरूपी न्यूनतम वेतन	
	से शुरू होगा; यह न्यूनतम वेतन, मैट्रिक्स में प्रत्येक लेवल	
	की प्रथम कोष्ठिका में उल्लिखित वेतन होगा। (रिपोर्ट का	
	पैरा 5.1.32)	
8.	पदोन्नति पर कर्मचारियों का वेतन रिपोर्ट के पैरा 5.1.33	स्वीकृत
	में वर्णित विधि से निर्धारित किया जाए।	

II. वार्षिक वेतन वृद्धि:

क्र. सं.	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश	सरकार का निर्णय
1.	वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने की विधि, रिपोर्ट के पैरा	स्वीकृत
	5.1.53 में यथानिर्धारित विधि होगी।	

III. संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन स्कीम:

क्र. सं.	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश	सरकार का निर्णय
1.	एमएसीपी पहले की तरह 10, 20 और 30 वर्ष पर दी	स्वीकृत
	जाती रहेगी। नए वेतन मैट्रिक्स में, कर्मचारी पदक्रम में ठीक	
	अगले लेवल में चला जाएगा। वेतन मैट्रिक्स में वेतन	
	निर्धारण के लिए वही सिद्धांत अपनाया जाएगा जो	
	नियमित पदोन्नति के लिए अपनाया जाता है। एमएसीपी	
	स्कीम संगठित समूह 'क' सेवाओं के सदस्यों को छोड़कर	
	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) स्तर तक सभी	
	कर्मचारियों के लिए लागू बनी रहेगी। (रिपोर्ट का पैरा	
	5.1.44)	
2.	एमएसीपी स्कीम के तहत प्रोन्नति और वित्तीय उन्नयन के	स्वीकृत
	लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन का मानदंड 'अच्छा' से	
	बढ़ाकर 'बहुत अच्छा' किया जाए। (रिपोर्ट का पैरा 5.1.45)	
3.	ऐसे कर्मचारियों के मामले में जो अपनी सेवा के प्रथम 20	स्वीकृत
	वर्षों में एमएसीपी अथवा नियमित पदोन्नति के मानदंड को	
	पूरा नहीं कर पाते, वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जाए।	
	(रिपोर्ट का पैरा 5.1.46)	

IV. विनियामक निकायों में समेकित वेतन पैकेज:

क्र. सं.	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश	सरकार का निर्णय
1.	भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, और भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियमन प्राधिकरण के अध्यक्षों के लिए 4,50,000 रुपए (चार लाख पचास हजार रुपए मात्र) का समेकित वेतन पैकेज (रिपोर्ट का पैरा 13.15.(i))	स्वीकृत
2.	भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, और भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियमन प्राधिकरण के सदस्यों के लिए 4,00,000 रुपए (चार लाख रुपए मात्र) का समेकित वेतन पैकेज (रिपोर्ट का पैरा 13.15.(i))	स्वीकृत
3.	महंगाई भत्ता जब भी 50% बढ़ जाए तो उपर्युक्त मामलों में समेकित वेतन पैकेज में 25% की वृद्धि कर दी जाए। दौरे पर यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता सहित अन्य सभी लाभ विनियामक निकायों द्वारा अपने नियमों और विनियमों के अनुसार प्रदान किए जाएं। (रिपोर्ट का पैरा 13.15.(ii))	स्वीकृत
4.	संसद के अधिनियमों के तहत स्थापित शेष विनियामक निकायों के विद्यमान सदस्यों के लिए सामान्य प्रतिस्थापन वेतन (रिपोर्ट का पैरा 13.15.(iii))	स्वीकृत

V. महंगाई भत्ता:

क्र. सं.	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश	सरकार का निर्णय
1.	महंगाई भत्ते की गणना के लिए मौजूदा फार्मूला और	स्वीकृत। संशोधित वेतन संरचना

कार्यप्रणाली जारी रखी जाए (रिपोर्ट का पैरा 8.17.37)	लागू होने के बाद महंगाई भत्ते
	की गणना के लिए संदर्भ आधार
	में तदनुसार परिवर्तन किया
	जाएगा और उसे 01.01.2016
	की स्थिति के अनुसार औसत
	सूचकांक से जोड़ा जाएगा।

उपाबंध- III

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत पदोन्नयन के मामलों की सूची, जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजी जानी है

क (I) शीर्ष लेवल से भिन्न उन्नयन:

क्र. सं.	पद का नाम (सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट का पैरा सं.)	वर्तमान ग्रेड वेतन	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत ग्रेड वेतन
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन का कनिष्ठ रेडियोग्राफर (7.7.50)	2000	2800
2.	परिरक्षण सहायक, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (11.16.19)	2000	2400
3.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (सर्वेक्षण), खान मंत्रालय (11.29.15)	4200	4600
4.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ड्राईंग), खान मंत्रालय (11.29.15)	4200	4600
5.	तकनीकी अधिकारी, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय (11.49.9)	4200	4600
6.	सहायक निदेशक ग्रेड-II (तकनीकी), वस्त्र मंत्रालय (11.49.9)	4600	4800
7.	सहायक लेखा अधिकारी, रक्षा वित्त प्रभाग, रक्षा मंत्रालय (11.12.140)	4800	सेवा के चार वर्ष पूरे होने के पश्चात् 5400

8.	वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा), रेल मंत्रालय	4800	(पीबी-2)
	(11.40.83)		
9.	वरिष्ठ सचल निरीक्षक (लेखा), रेल मंत्रालय (11.40.83)	4800	
10.	वरिष्ठ निरीक्षक (भंडार लेखा), रेल मंत्रालय	4800	
	(11.40.83)		
11.	रसायन और धातुविज्ञान सहायक (सीएमए) रेल मंत्रालय	4200	4600
	(11.40.124)		
12.	रसायन और धातुविज्ञान अधीक्षक (सीएमएस), रेल	4600	4800
	मंत्रालय (11.40.124)		
13.	सहायक रसायनज्ञ और धातु विज्ञानी, रेल मंत्रालय	4800	5400 (पीबी-2)
	(11.40.124)		

क (II) शीर्ष वेतनमान में उन्नयन:

क्र.सं.	पद का नाम
	(सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट का पैरा सं.)
1.	महानिदेशक (भारतीय तट रक्षक) (11.12.27)
2.	महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
	(11.47.9)
3.	आयकर न्यायाधिकरण के उपाध्यक्ष, विधि कार्य विभाग (11.27.27)
4.	प्रमुख, राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (एनडीसी), नई दिल्ली (14.21)
5.	प्रमुख, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), खड़कवासला, पुणे (14.21)
6.	प्रमुख, रक्षा सेवा स्टाफ कालेज (डीएसएससी), वैलिंग्टन (14.21)

ख. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत मामले जिनमें कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है:

क्र. सं.	पद का नाम	वर्तमान ग्रेड	सातवें केन्द्रीय	टिप्पणी
	(सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट	वेतन	वेतन आयोग	
	का पैरा सं.)		द्वारा संस्तुत	
	,		ग्रेड वेतन	

1.	कृषि सहायक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (11.23.170)	2400	2800	पद मौजूद नहीं हैं।
2.	माली ओवरसीयर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (11.23.170)	2400	2800	
3.	ग्रुप लेवल वर्कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (11.23.170)	2400	2800	
4.	विस्तार अधिकारी (कृषि) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (11.23.170)	2400	2800	
5.	कनिष्ठ फार्म प्रबंधक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (11.23.170)	2400	2800	
6.	सहायक भंडारपाल, भारतीय खान ब्यूरो (11.29.24)	1900	2400	यह पद पहले से ही 2400 रुपए के ग्रेड वेतन में है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

RESOLUTION

New Delhi, the 25th July, 2016

- **No. 1-2/2016-IC.** The Seventh Central Pay Commission (Commission) was set up by the Government of India vide Resolution No. 1/1/2013-E.III (A), dated the 28th February, 2014. The period for submission of report by the Commission was extended upto 31st December, 2015 vide Resolution No. 1/1/2013-E.III(A), dated the 8th September, 2015. The Commission, on 19th November, 2015, submitted its Report on the matters covered in its Terms of Reference as specified in the aforesaid Resolution dated the 28th February, 2014.
- 2. The Government, after consideration, has decided to accept the recommendations of the Commission in respect of the categories of employees covered in its Terms of Reference contained in the aforesaid Resolution dated the 28th February, 2014 in the manner as specified hereinafter.
- 3. The Government has accepted the Commission's recommendations on Minimum Pay, Fitment Factor, Index of Rationalisation, Pay Matrices and general recommendations on pay without any material alteration with the following exceptions in Defence Pay Matrix in order to maintain parity in pay with Central Armed Police Forces, namely:-

- (i) the Index of Rationalisation of Level 13A (Brigadier) in Defence Pay Matrix may be revised upward from 2.57 to 2.67;
- (ii) additional three stages in Levels 12A (Lieutenant Colonel), three stages in Level 13 (Colonel) and two stages in Level 13A (Brigadier) may be added appropriately in the Defence Pay Matrix.
- 4. (1) The Pay Matrix, in replacement of the Pay Bands and Grade Pays as in force immediately prior to the notification of this Resolution, shall be as specified in **Annexure I** in respect of civilian employees.
- (2) With regard to fixation of pay of the employee in the new Pay Matrix as on 1st day of January, 2016, the existing pay (Pay in Pay Band plus Grade Pay) in the pre-revised structure as on 31st day of December, 2015 shall be multiplied by a factor of 2.57. The figure so arrived at is to be located in the Level corresponding to employee's Pay Band and Grade Pay or Pay Scale in the new Pay Matrix. If a Cell identical with the figure so arrived at is available in the appropriate Level, that Cell shall be the revised pay; otherwise the next higher cell in that Level shall be the revised pay of the employee.
- (3) After fixation of pay in the appropriate Level as specified in sub-paragraph (2) above, the subsequent increments in the Level shall be at the immediate next Cell in the Level.
- 5. There shall be two dates for grant of increment namely, 1st January and 1st July of every year, instead of existing date of 1st July; provided that an employee shall be entitled to only one annual increment on either one of these two dates depending on the date of appointment, promotion or grant of financial up-gradation.
- 6. The Commission's recommendations and Government's decision thereon with regard to revised pay structure for civilian employees of the Central Government and personnel of All India Services as specified at **Annexure I** and the consequent pay fixation therein as specified at **Annexure II** shall be effective from the 1st day of January, 2016. The arrears on this account shall be paid during the financial year 2016-2017.
- 7. The recommendations on Allowances (except Dearness Allowance) will be referred to a Committee comprising Finance Secretary and Secretary (Expenditure) as Chairman and Secretaries of Home Affairs, Defence, Health and Family Welfare, Personnel and Training, Posts and Chairman, Railway Board as Members. The Committee will submit its report within a period of four months. Till a final decision on Allowances is taken based on the recommendations of this Committee, all Allowances will continue to be paid at existing rates in existing pay structure, as if the pay had not been revised with effect from 1st day of January, 2016.
- 8. The recommendations of the Commission relating to interest bearing Advances as well as interest free Advances have been accepted with the exception that interest free Advances for Medical Treatment, Travelling Allowance for family of deceased, Travelling Allowance on tour or transfer and Leave Travel Concession shall be retained.
- 9. The recommendations of the Commission for increase in rates of monthly contribution towards Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS) for various categories of employees has not been accepted. The existing rates of monthly contribution shall continue. Department of Expenditure and Department of Financial Services will work out a customised group insurance scheme for Central Government employees.
- 10. The Government has accepted the recommendations of the Commission on upgrading of posts except for those specified at **Annexure III.** The recommendations on upgradation specified at **Annexure III** will be separately examined by Department of Personnel and Training for taking a comprehensive view in the matter.

- 11. The Government has not accepted the recommendations of the Commission on downgrading of posts and normal replacement will be provided in such cases.
- 12. While revising the pay of Doctors in respect of whom Non Practicing Allowance is admissible and Railway employees in respect of whom Running Allowance is admissible, it will be ensured that the actual raise in pay at the time of initial fixation is about 14.29 percent as recommended by the Commission.
- 13. The pay of officers posted on deputation under Central Staffing Scheme will be protected and the difference in the pay will be given to them in the form of Personal Pay to be made effective from the date of notification.
- 14. Recommendations not relating to pay, pension and allowances and other administrative issues specific to Departments/Cadres/Posts will be examined by the Ministries/Departments concerned as per the Allocation of Business Rules or Transaction of Business Rules. Until a decision is taken by the Government on administrative issues pertaining to (i) Non Functional Upgradation (NFU) presently admissible to the Indian Police Service/Indian Forest Service and Organised Group 'A' Services, (ii) two years' edge to Indian Administrative Service officers vis-a-vis other All India Services/Organised Group 'A' Services in empanelment under Central Staffing Scheme, (iii) grant of two additional increments at Senior Time Scale, Junior Administrative Grade and Selection Grade to Indian Police Service and Indian Forest Service at par with Indian Administrative Service and Indian Foreign Service (iv) a uniform retirement age for all ranks in Central Armed Police Forces, where the Commission could not arrive at a consensus, status quo shall be maintained.
- 15. A Committee of Secretaries comprising Secretaries of Departments of Personnel and Training, Financial Services and Pension and Pensioners' Welfare will be set up to suggest measures for streamlining the implementation of the National Pension System (NPS).
- 16. Anomalies Committees will be set up by Department of Personnel and Training to examine individual, post-specific and cadre-specific anomalies arising out of implementation of the recommendations of the Commission.
- 17. Regarding pay and related issues concerning All India Services, appropriate action will be taken by Department of Personnel and Training to give effect to the decisions on these matters as may be applicable to them.
- 18. The Government of India wishes to place on record their appreciation of the work done by the Commission.

ORDER

Ordered that this Resolution be published in the Gazette of India, Extraordinary.

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India, State Governments, Administrations of Union Territories and all other concerned.

Annexure I

PAY MATRIX

Pay Band			5200-2020	0			9300-3	4800		1	5600-3910	0	3	7400-67000	0	67000- 79000	75500- 80000	80000	90000
Grade Pay	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400	5400	6600	7600	8700	8900	10000				
Level	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13क	14	15	16	17	18
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100	56100	67700	78800	118500	131100	144200	182200	205400	225000	250000
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700	57800	69700	81200	122100	135000	148500	187700	211600		
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300	59500	71800	83600	125800	139100	153000	193300	217900		
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000	61300	74000	86100	129600	143300	157600	199100	224400		
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700	63100	76200	88700	133500	147600	162300	205100			
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500	65000	78500	91400	137500	152000	167200	211300			
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300	67000	80900	94100	141600	156600	172200	217600			
8	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	65200	69000	83300	96900	145800	161300	177400	224100			
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200	71100	85800	99800	150200	166100	182700				
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200	73200	88400	102800	154700	171100	188200				
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300	75400	91100	105900	159300	176200	193800				
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400	77700	93800	109100	164100	181500	199600				
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600	80000	96600	112400	169000	186900	205600				
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900	82400	99500	115800	174100	192500	211800				
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200	84900	102500	119300	179300	198300	218200				
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600	87400	105600	122900	184700	204200					
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100	90000	108800	126600	190200	210300					
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700	92700	112100	130400	195900	216600					
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300	95500	115500	134300	201800						
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000	98400	119000	138300	207900						
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800	101400	122600	142400	214100						
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700	104400	126300	146700							
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700	107500	130100	151100							
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800	110700	134000	155600							
25	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900	114000	138000	160300							
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100	117400	142100	165100							
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400	120900	146400	170100							
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800	124500	150800	175200							
29	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300	128200	155300	180500							

Pay Band			5200-2020	0			9300-3	4800		1	5600-3910)	3	7400-67000)	67000- 79000	75500- 80000	80000	90000
Grade Pay	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400	5400	6600	7600	8700	8900	10000				
Level	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13क	14	15	16	17	18
30	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900	132000	160000	185900							
31	43600	48500	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600	136000	164800	191500							
32	44900	50000	54600	64000	72800	88700	112400	119300	132500	140100	169700	197200							
33	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115800	122900	136500	144300	174800	203100							
34	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126600	140600	148600	180000	209200							1
35	49000	54600	59600	69900	79600	96900	122900	130400	144800	153100	185400								1
36	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100	157700	191000								
37	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	138300	153600	162400	196700								
38	53600	59600	65100	76400	87000	105900	134300	142400	158200	167300	202600				•				
39	55200	61400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900	172300	208700								i
40	56900	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800	177500								_	

ANNEXURE II

Statement showing the recommendations of the Seventh Central Pay Commission on Pay relating to Civilian employees in Group 'A', 'B' and 'C' and personnel of All India Services and Government's decisions thereon.

I. Pay Fixation in revised Pay Structure:

Sl. No.	Recommendation of the Seventh Central Pay Commission	Decision of the Government
1.	Minimum pay in government with effect from 01.01.2016 at Rs. 18000 per month (Para 4.2.13 of the Report)	Accepted
2.	Pay Matrix comprising two dimensions having horizontal range in which each level corresponds to a "functional role in the hierarchy" with number assigned 1, 2, 3 and so on till 18 and "vertical range" denoting "pay progression". These indicate the steps of annual financial progression (Para 5.1.21 of the Report)	Accepted
3.	On recruitment, an employee joins at a particular level and progresses within the level as per the vertical range. The movement is usually on an annual basis, based on annual increments till the time of their next promotion. (Para 5.1.22 of the Report)	Accepted
4.	The fitment factor of 2.57 to be applied uniformly for all employees. (Para 5.1.27 of the Report)	Accepted
5.	Pay of employees to be fixed in the revised Pay Structure in the manner laid down in Paras 5.1.28 and 5.1.29 of the Report.	Accepted
6.	In case of upgrading of posts recommended by the Commission, the pay may be fixed in revised Pay Structure in manner laid down in Para 5.1.30 of the Report.	Accepted. The recommendation regarding downgrading not accepted and, therefore, no occasion for fixation on downgrading of posts.
7.	Pay of direct recruits will start at the minimum pay corresponding to the Level to which recruitment is made, which will be the first cell of each Level in the Matrix (Para 5.1.32 of the Report)	Accepted
8.	On promotion, pay of employees to be fixed in the manner laid down in Para 5.1.33 of the Report.	Accepted

II. Annual Increments:

Sl. No.	Recommendation of the Seventh Central Pay Commission	Decision of the Government
1.	The manner of drawal of annual increment to be as laid down in Para 5.1.53 of the Report.	Accepted

III. Modified Assured Career Progression Scheme:

Sl. No.	Recommendation of the Seventh Central Pay Commission	Decision of the Government
1.	MACP will continue to be administered at 10, 20 and 30 years as before. In the new Pay Matrix, the employee will move to immediate next Level in hierarchy. Fixation of pay will follow the same principle as that for a regular promotion in the Pay Matrix. MACPS will continue to be applicable to all employees up to Higher Administrative Grade (HAG) level except members of Organised Group 'A' Services. (Para 5.1.44 of the Report)	Accepted
2.	Benchmark for performance appraisal for promotion and financial ungrdation under MACPS to be enhanced from "Good" to "Very Good". (Para 5.1.45 of the Report)	Accepted
3.	Withholding of annual increments in the case of those employees who are not able to meet the benchmark either for MACP or a regular promotion within the first 20 years of their service. (Para 5.1.46 of the Report)	Accepted

IV. Consolidated Pay package in Regulatory Bodies:

Sl. No.	Recommendation of the Seventh Central Pay Commission	Decision of the Government
1.	Consolidated pay package of Rs. 4,50,000 (Rupees Four Lakh and Fifty Thousand only) for Chairpersons of Telecom Regulatory Authority of India, Central Electricity Regulatory Commission, Insurance Regulatory and Development Authority, Securities and Exchange Board of India, Competition Commission of India, Pension Fund Regulatory and Development Authority, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, Warehousing Development and Regulatory Authority, and Airports Economic Regulatory Authority of India (Para No. 13.15 (i) of the Report)	Accepted

		1
2.	Consolidated pay package of Rs. 4,00,000 (Rupees Four Lakh only) for Members of Telecom Regulatory Authority of India, Central Electricity Regulatory Commission, Insurance Regulatory and Development Authority, Securities and Exchange Board of India, Competition Commission of India, Pension Fund Regulatory and Development Authority, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, Warehousing Development and Regulatory Authority, and Airports Economic Regulatory Authority of India (Para No. 13.15 (i) of the Report)	
3.	Consolidated pay package in above cases to be raised by 25 percent as and when Dearness Allowance goes up by 50 percent. All other benefits, including Travelling Allowance/Daily Allowance on tour etc., to be provided by the Regulatory Bodies as per their rules and regulations. (Para No. 13.15 (ii) of the Report)	Accepted
4.	Normal replacement pay for existing Members of the remaining regulatory bodies set up under Acts of Parliament. (Para No. 13.15 (iii) of the Report)	Accepted

V. Dearness Allowance:

Sl. No.	Recommendation of the Seventh Central Pay Commission	Decision of the Government
1.	Existing formula and methodology for calculating Dearness Allowance to continue (Para 8.17.37 of the Report)	<u> </u>

Annexure III

List of cases of upgradation of posts recommended by Seventh Central Pay Commission to be referred to Department of Personnel and Training

A (I). Upgradation other than Apex Level:

Sl. No.	Name of Posts (Para No. of Report of Seventh Central Pay Commission)	Present Grade Pay	recommended	Pay by Pay
1	Junior Radiographer of Andaman and Nicobar Islands Administration (7.7.50)	2000	2800	

2	Preservation Assistant, Botanical Survey of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (11.16.19)	2000	2400
3	Senior Technical Assistant (Survey), Ministry of Mines (11.29.15)	4200	4600
4	Senior Technical Assistant (Drawing), Ministry of Mines (11.29.15)	4200	4600
5	Technical Officer, Office of Textile Commissioner, Ministry of Textile (11.49.9)	4200	4600
6	Assistant Director Grade-II (Technical), Ministry of Textile (11.49.9)	4600	4800
7	Assistant Accounts Officer, Finance Division of Defence, Ministry of Defence (11.12.140)	4800	5400 (PB-2) on completion of 4 years service
8	Senior Section Officer (Accounts), Ministry of Railways (11.40.83)	4800	
9	Senior Travelling Inspector (Accounts), Ministry of Railways (11.40.83)	4800	
10	Senior Inspector (Store Accounts), Ministry of Railways (11.40.83)	4800	
11	Chemical and Metallurgical Assistant (CMA), Ministry of Railways (11.40.124)	4200	4600
12	Chemical and Metallurgical Superintendent (CMS), Ministry of Railways (11.40.124)	4600	4800
13	Assistant Chemist and Metallurgist, Ministry of Railways (11.40.124)	4800	5400 (PB-2)

A (II) Up-gradation to Apex scale:

Sl.	Name of Post										
No.	(Para No. of Report of Seventh Central Pay Commission)										
1	Director General (Indian Coast Guard) (11.12.27)										
2	Director General, Central Statistics Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation (11.47.9)										
3	Vice President of Income Tax Tribunal, Department of Legal Affairs (11.27.27)										
4	Head, National Defence College (NDC), New Delhi (14.21)										
5.	Head, National Defence Academy (NDA), Khadakwasla, Pune (14.21)										
6.	Head, Defence Services Staff College (DSSC), Wellington (14.21)										

B. Cases recommended by Seventh Central Pay Commission in which no action is required:

S.No	Name of Post (Para No. of Report of Seventh Central Pay Commission)	Present Grade Pay	Grade Pay recommended by Seventh Central Pay Commission	Remarks
1	Agriculture Assistant, Government of National Capital Territory of Delhi	2400	2800	Posts do not exist
2	(11.23.170) Gardner overseer, Government of National Capital Territory of Delhi (11.23.170)	2400	2800	
3	Group Level Worker, Government of National Capital Territory of Delhi (11.23.170)	2400	2800	
4	Extension Officer (Agriculture) Government of National Capital Territory of Delhi (11.23.170)	2400	2800	
5	Farm Manager Junior, Government of National Capital Territory of Delhi (11.23.170)	2400	2800	
6	Assistant Store Keeper, Indian Bureau of Mines (11.29.24)	1900	2400	This post already exists in Grade Pay 2400



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 512] No. 512] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 25, 2016/श्रावण 3,1938

NEW DELHI, MONDAY, JULY 25, 2016/SRAVANA 3, 1938

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 721(अ).–राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 148 के खंड (5) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 है।
- (2) ये नियम 1 जनवरी, 2016 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. सरकारी सेवकों की श्रेणियां जिन पर ये नियम लागू होंगे:-

- (1) इन नियमों द्वारा या इसके अधीन अन्यथा प्रावधान के सिवाय, ये नियम संघ के कार्यों के संबंध में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों जिनका वेतन सिविल प्राक्कलनों में से अदा किया जाता है, पर और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों पर लागू होंगे।
- (2) ये नियम:-

3727 GI/2016 (1)

- (i) चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केन्द्रीय सिविल सेवाओं और समूह "क", "ख", और समूह "ग" के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों;
- (ii) विदेशों में राजनयिक, कांसुली अथवा अन्य भारतीय संस्थापनाओं में सेवा के लिए स्थानीय रूप से भर्ती किए गए व्यक्तियों;
- (iii) ऐसे व्यक्तियों जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं हैं;
- (iv) ऐसे व्यक्तियों जिन्हें आकस्मिकता निधि में से भुगतान किया जाता है;
- (v) ऐसे व्यक्तियों जिन्हें मासिक आधार से भिन्न अन्यथा आधार पर भुगतान किया जाता है; जिसके अंतर्गत वे व्यक्ति भी हैं जिन्हें केवल उजरती आधार पर भुगतान किया जाता है।
- (vi) संविदा में निहित अन्यथा प्रावधान के सिवाय संविदा पर नियोजित व्यक्तियों;
- (vii) सेवानिवृत्ति के पश्चात् सरकारी सेवा में पुन:नियोजित व्यक्तियों;
- (viii) किसी अन्य श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों जिन्हें राष्ट्रपति, आदेश द्वारा इन नियमों में अंतर्विष्ट सभी उपबंधों अथवा किसी उपबंध के प्रवर्तन से विशेष रूप से अपवर्जित करें;

पर लागू नहीं होंगे।

- 3. परिभाषाएं- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
 - (i) "विद्यमान मूल वेतन" से, विहित विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा विद्यमान वेतनमान में आहरित वेतन अभिप्रेत है।
 - (ii) सरकारी सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन" से इन नियमों की अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख को सरकारी सेवक द्वारा वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में धारित पद पर लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अभिप्रेत है;
 - (iii) सरकारी सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतनमान" से, इन नियमों की अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख को, वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड, उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड+, शीर्ष वेतनमान और मंत्रिमंडल सचिव के लिए लागू वेतनमान में सरकारी सेवक द्वारा धारित पद पर लागू वेतनमान अभिप्रेत है।
 - (iv) सरकारी सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतन संरचना" से, इन नियमों के प्रवृत्त होने से ठीक पहले की तारीख को वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में सरकारी सेवक द्वारा धारित पद के लिए लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की वर्तमान पद्धित अथवा वेतनमान अभिप्रेत है।
 - स्पष्टीकरण- ऐसा सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर अथवा छुट्टी पर अथवा विदेश सेवा में था, अथवा यदि वह उच्चतर पद में स्थानापन्न आधार पर काम न कर रहा होता तो वह उस तारीख को एक अथवा

एकाधिक निचले पदों पर स्थानापन्न हैसियत में रहा होता, के मामले में "विद्यमान मूल वेतन", "विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन" और "विद्यमान वेतनमान" जैसे शब्दों का यह अभिप्राय होगा कि - उस पद जो भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर अथवा छुट्टी पर अथवा विदेश सेवा में अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न हैसियत से काम न कर रहे होने की सूरत में, जैसी भी स्थिति हो, उसने धारित किया होता, पर लागू मूल वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान;

- (v) "विद्यमान परिलब्धियों" से (i) विद्यमान मूल वेतन और (ii) 01 जनवरी, 2016 को सूचकांक औसत में विद्यमान मंहगाई भत्ते को जोड़ने से प्राप्त राशि अभिप्रेत है;
- (vi) "वेतन मैट्रिक्स" से अनुसूची के भाग-क में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स अभिप्रेत है जिसमें वेतन के लेवल तदनुरूपी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए यथा-निर्दिष्ट लम्बवत् कोष्ठिकाओं में दिए गए हैं;
- (vii) वेतन मैट्रिक्स में "लेवल" से, इन नियमों की अनुसूची के भाग-क में विनिर्दिष्ट विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए तदनुरूपी लेवल अभिप्रेत होगा।
- (viii) "लेवल में वेतन" से अनुसूची के भाग-क में यथा-विनिर्दिष्ट लेवल में उपयुक्त कोष्ठिका में आहरित वेतन अभिप्रेत है।
- (ix) किसी पद के संबंध में "संशोधित वेतन संरचना" से, वेतन मैट्रिक्स और उसमें विनिर्दिष्ट लेवल अभिप्रेत है जो कि उस पद के विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के अनुरूप हो जब तक कि उस पद विशेष के लिए कोई भिन्न संशोधित लेवल अलग से अधिसूचित न किया गया हो।
- (x) संशोधित वेतन संरचना में "मूल वेतन" से, वेतन मैट्रिक्स में विहित लेवल में आहरित वेतन अभिप्रेत है।
- (xi) "संशोधित परिलब्धियों" से, संशोधित वेतन संरचना में किसी सरकारी सेवक के लेवल में वेतन अभिप्रेत है; और
- (xii) "अनुसूची" से, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।
- 4. **पदों के लेवल** संशोधित वेतन संरचना में पदों के लेवल का निर्धारिण उन विभिन्न लेवलों के अनुसार किया जाएगा जो कि वेतन मैट्रिक्स में यथा-विनिर्दिष्ट तदनुरूपी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए तय किए गए हों।
- 5. **संशोधित वेतन संरचना में वेतन का आहरण** इन नियमों में किए गए अन्यथा उपबंध के सिवाय सरकारी सेवक उस पद जिस पर उसे नियुक्त किया गया है, के लिए लागू संशोधित वेतन संरचना में तय लेवल में वेतन आहरित करेगा:

बशर्ते कि कोई सरकारी सेवक विद्यमान वेतन संरचना में अपनी अगली अथवा किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक अथवा उसके पद रिक्त करने तक अथवा विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण करना बंद करने तक विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण जारी रखने का विकल्प चुन सकता है:

बशर्ते यह भी कि ऐसे मामलों में जहां सरकारी सेवक को 01 जनवरी, 2016 तथा इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बीच प्रोन्नति अथवा उन्नयन के कारण उच्चतर ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में रखा गया हो तो वह सरकारी सेवक, यथास्थिति, ऐसी प्रोन्नति अथवा उन्नयन की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में आने के विकल्प का चयन कर सकता है।

- स्पष्टीकरण 1- इस नियम के परन्तुक के अंतर्गत, विद्यमान वेतन संरचना में बने रहने का विकल्प केवल एक विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के मामले में स्वीकार्य होगा।
- स्पष्टीकरण 2- उपर्युक्त विकल्प 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके बाद किसी पद पर सरकारी सेवा में पहली बार नियुक्त अथवा किसी अन्य पद से स्थानान्तरण पर नियुक्त किसी व्यक्ति के लिए स्वीकार्य नहीं होगा और उसे केवल संशोधित वेतन संरचना में ही वेतन देय होगा।
- स्पष्टीकरण 3- यदि कोई सरकारी सेवक मूल नियम 22 अथवा किसी अन्य नियम अथवा उस पद के लिए लागू आदेश के अधीन उस वेतन संरचना में वेतन के विनियमन के प्रयोजन से नियमित आधार पर स्थानापन्न हैसियत में धारित पद की विद्यमान वेतन संरचना में बने रहने के लिए इस नियम के परन्तुक के अधीन विकल्प का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक वेतन या तो वह वास्तविक वेतन होगा जो उसने स्थायी पद जिस पर उसका ग्रहणाधिकार है अथवा उसका ग्रहणाधिकार रहा होता यदि उसका ग्रहणाधिकार निलंबित नहीं किया जाता, के संबंध में विद्यमान वेतन संरचना में बने रहने पर आहरित किया होता या फिर स्थानापन्न पद का वेतन जो फिलहाल लागू किसी आदेश के अनुसरण में वास्तविक वेतन बन गया है, इनमें से जो भी अधिक हो।

6. विकल्प का प्रयोग-

(1) नियम 5 के परन्तुक के अधीन विकल्प का प्रयोग इन नियमों से संलग्न फॉर्म में लिखित में इस प्रकार किया जाएगा कि वह, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन माह के अंदर अथवा यदि विद्यमान वेतन संरचना में कोई संशोधन इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के पश्चात्वर्ती किसी आदेश से किया जाता है, तो ऐसे आदेश की तारीख से तीन माह के अंदर उप नियम (2) में उल्लिखित प्राधिकारी के पास पहुंच जाए।

बशर्ते कि-

(i) ऐसा सरकारी सेवक जो ऐसी अधिसूचना की तारीख को अथवा ऐसे आदेश की तारीख को, यथास्थिति, छुट्टी पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर अथवा विदेश सेवा में अथवा सक्रिय सेवा पर देश से बाहर है, के मामले में उक्त विकल्प का प्रयोग लिखित में इस प्रकार किया जाएगा कि वह, भारत में उसके द्वारा अपना पदभार ग्रहण किए जाने की तारीख से तीन माह के अंदर उक्त प्राधिकारी के पास पहुंच जाए; और

- (ii) यदि सरकारी कर्मचारी 01 जनवरी, 2016 को निलंबन में हो तो इस विकल्प का प्रयोग वह अपनी ड्यूटी पर अपनी वापसी की तारीख से तीन माह के अंदर करे यदि वह तारीख इस उप-नियम में नियत तारीख के बाद की तारीख हो।
- (2) सरकारी सेवक द्वारा इस विकल्प की सूचना इन नियमों से संलग्न फॉर्म में, एक वचनबंध के साथ अपने कार्यालय प्रमुख को दी जाएगी।
- (3) यदि विकल्प से संबंधित सूचना, उप-नियम (1) में उल्लिखित समय के अन्दर प्राधिकारी को प्राप्त नहीं हो जाती है, तो यह माना जाएगा कि सरकारी सेवक ने 01 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त संशोधित वेतन संरचना द्वारा शासित होने के विकल्प का चयन कर लिया है।
- (4) एक बार दिया गया विकल्प अंतिम विकल्प होगा।
- टिप्पण 1- ऐसे व्यक्तियों की जिनकी सेवाएं 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् समाप्त कर दी गई थीं और जो संस्वीकृत पदों की समाप्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी पर सेवोन्मुक्ति के कारण अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवोन्मुक्ति के कारण नियत समय सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, उप-नियम (1) के अधीन विकल्प चयन के हकदार होंगे।
- टिप्पण 2- ऐसे व्यक्तियों की जिनकी 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् मृत्यु हो गई है और जो नियत समय-सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने 01 जनवरी, 2016 से ही अथवा उनके आश्रितों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद ऐसी बाद की तारीख से इस संशोधित वेतन संरचना के विकल्प का चयन कर लिया है यदि संशोधित वेतन संरचना अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है और ऐसे मामलों में बकाया राशि के भुगतान के लिए आवश्यक कार्रवाई कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाएगी।
- टिप्पण 3- ऐसे व्यक्ति जो 01 जनवरी, 2016 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश, जो उन्हें छुट्टी वेतन का हकदार बनाता है, पर थे, इस नियम का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

7. संशोधित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण:

- (1) किसी सरकारी सेवक, जो 01 जनवरी, 2016 से ही संशोधित वेतन संरचना से शासित होने के लिए नियम 6 के अधीन विकल्प का चयन करता है या यह मान लिया गया है कि उसने विकल्प का चयन कर लिया है, का वेतन, जब तक कि किसी मामले में राष्ट्रपति, विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं देते, स्थायी पद जिस पर उसका ग्रहणाधिकार है अथवा यदि ग्रहणाधिकार निलंबित नहीं किया गया होता तो उसका ग्रहणाधिकार रहा होता, में उसके वास्तविक वेतन के संबंध में और उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद में उसके वेतन के संबंध में निम्नलिखित विधि से अलग-अलग निर्धारित किया जाएगा अर्थात्:-
- (क) सभी कर्मचारियों के मामले में:-
 - (i) वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल में वेतन वह वेतन होगा जो 2.57 के गुणांक से विद्यमान मूल वेतन को गुणा करके निकटतम रुपए तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जाएगी और यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका में तदनुरूपी कोई समरूप राशि है तो वही

राशि वेतन होगी और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई कोष्ठिका उपलब्ध न हो, तो वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका में वेतन निर्धारित किया जाएगा।

1.	विद्यमान वेतन बैंड: पीबी-1	वेतन बैंड		52	00-20200		
2.	विद्यमान ग्रेड वेतन : 2400						
3.	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन:	ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
	10160	लेवल	1	2	3	4	5
4.	विद्यमान मूल वेतन: 12560	1	18000	19900	21700	25500	29200
	(10160+2400)	2	18500	20500	22400	26300	30100
5.	2.57 के फिटमेंट गुणांक से	3	19100	21100	23100	27100	31000
	गुणा करने के पश्चात् वेतन:	4	19700	21700	23800	27900	31900
	12560 x 2.57 = 32279.20 (32279 详	5	20300	22400	24500	28700	32900
	पूर्णांकित)	6	20900	23100	25200	29600	33900
6.	ग्रेड वेतन 2400 का तदनुरूपी	7	21500	23800	26000	30500	34900
	लेवल : लेवल 4	8	22100	24500	26800	31400	35900
7.	वेतन मैट्रिक्स में संशोधित	9	22800	25200	27600	32300	37000
	वेतन (लेवल 4 में या तो	10	23500	26000	28400	33300	38100
	32279 के बराबर या उससे	11	24200	26800	29300	34300	39200
	अगली उच्चतर राशि):						
	32300.						

- (ii) यदि प्रयोज्य लेवल में न्यूनतम वेतन या प्रथम कोष्ठिका की राशि उपर्युक्त उप-खण्ड (i) के अनुसार प्राप्त राशि से अधिक है तो वेतन, उस प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम पर अथवा प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा;
- (ख) चिकित्सा अधिकारियों जिनके संबंध में प्रैक्टिसबंदी भत्ता स्वीकार्य है, के मामले में वेतन, संशोधित वेतन संरचना में निम्नलिखित विधि से निर्धारित किया जाएगा:
- (i) विद्यमान मूल वेतन को 2.57 के गुणांक से गुणा किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त राशि में 01 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार स्वीकार्य संशोधन-पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर महंगाई भत्ते के बराबर की राशि जोड़ी जाएगी। इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जाएगी और यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्टिका में ऐसी तदनुरूपी राशि हूबहू विद्यमान है

तो वही राशि वेतन होगी और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई कोष्ठिका उपलब्ध न हो, तो वेतन का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका में किया जाएगा।

(ii) प्रैक्टिसबंदी भत्ते की संशोधित दरों के संबंध में आगे विनिश्चय किए जाने तक उप-खण्ड (i) के अधीन इस प्रकार निर्धारित वेतन में, विद्यमान मूल वेतन पर स्वीकार्य संशोधन-पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता जोड़ा जाएगा।

- 1. विद्यमान वेतन बैंड : पीबी-3
- 2. विद्यमान ग्रेड वेतन : 5400
- 3. वेतन बैंड में विद्यमान वेतन: 15600
- 4. विद्यमान मूल वेतन: 21000
- मूल वेतन पर 25% प्रैक्टिसबंदी भत्ता:
 5250
- 6. प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर 125% की दर से महंगाई भत्ता : 6563
- 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् वेतन: 21000 x 2.57 = 53970
- प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर महंगाई भत्ता:
 6563 (5250 का 125%)
- 9. क्रम सं. 7 और 8 का जोड = 60533
- 10. 5400 ग्रेड वेतन (पीबी-3) का तदनुरूपी लेवल: लेवल 10
- 11. वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 10 में या तो 60540 के बराबर या अगली उच्चतर राशि): 61300
- 12. संशोधन-पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता : 5250
- 13. संशोधित वेतन + संशोधन-पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता : 66550

वेतन बैंड		15600-39100			
ग्रेड वेतन	5400	6600	7600		
लेवल	10	11	12		
1	56100	67700	78800		
2	57800	69700	81200		
3	59500	71800	83600		
4	61300	74000	86100		
5	63100	76200	88700		
6	65000	78500	91400		

(2) यदि किसी पद को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप अनुसूची के भाग 'ख' अथवा भाग 'ग' में दर्शाए गए अनुसार उन्नत किया गया है तो विद्यमान मूल वेतन की गणना के लिए लेवल जिसमें पद का उन्नयन किया गया है, के तदनुरूपी ग्रेड वेतन में संबंधित कर्मचारी द्वारा विद्यमान वेतन बैंड में आहरित वेतन जोड़ दिया जाएगा और फिर वेतन का निर्धारण उप-नियम (1) के खंड (क) के अनुसार निर्धारित विधि से किया जाएगा।

<i>७</i> ५	1854.									
1.	विद्यमान वेतन बैंड : पीबी-1		5200-20200							
2.	विद्यमान वेतन : 2400	ग्रेड	1800	1900	2000	2400	2800			
3.	विद्यमान मूल वेतन : 12560	वेतन	1000	1300	2000	2400	2000			
4.	उन्नत ग्रेड वेतन: 2800	लेवल	1	2	3	4	5			
5.	5. निर्धारण के प्रयोजन हेतु वेतन: 12960 (10160+2800)	1	18000	19900	21700	25500	29200			
		2	18500	20500	22400	26300	30100			
6.	क्रम सं. 5 को 2.57 के फिटमेंट गुणांक से	3	19100	21100	23100	27100	31000			
	गुणा करने के बाद वेतन: 33307.20	4	19700	21700	23800	27900	31900			
	(33307 में पूर्णांकित)	5	20300	22400	24500	28700	32900			
7.	ग्रेड वेतन 2800 का तदनुरूपी लेवल :	6	20900	23100	25200	29600	33900			
	लेवल 5	7	21500	23800	26000	30500	34900			
8.	वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 5									
	में या तो 33307 के बराबर या अगली									
	उच्चतर राशि) : 33900.									

- (3) कोई सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को छुट्टी पर है और वह छुट्टी वेतन का हकदार है, 01 जनवरी, 2016 से अथवा संशोधित वेतन संरचना के लिए विकल्प चयन की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जाएगा।
- (4) कोई सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को अध्ययन छुट्टी पर है तो वह 01 जनवरी, 2016 से अथवा विकल्प की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जाएगा।
- (5) निलंबन के अधीन सरकारी कर्मचारी विद्यमान वेतन संरचना के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन, लंबित अनुशासनिक कार्यवाही में दिए जाने वाले अंतिम आदेश के अधीन होगा।
- (6) यदि स्थायी पद धारक कोई सरकारी सेवक नियमित आधार पर किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न है तथा इन दोनों पदों के लिए लागू वेतन संरचना का विलय एक लेवल में कर दिया गया है तो वेतन का

निर्धारण उप नियम (1) के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में ही किया जाएगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही वास्तविक वेतन माना जाएगा।

- (7) यदि किसी सरकारी सेवक के मामले में विद्यमान परिलब्धियां "संशोधित परिलब्धियों" से अधिक हैं तो यह अंतर व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।
- (8) यदि कोई सरकारी सेवक 01 जनवरी, 2016 से ठीक पहले विद्यमान वेतन संरचना में उसी काडर में अपने किसी अन्य किनष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और उप-नियम (1) के अधीन वेतन निर्धारण में संशोधित वेतन संरचना में ऐसे किनष्ठ के वेतन से निचली कोष्ठिका में निर्धारित हो जाता है, तो उसका वेतन संशोधित वेतन संरचना में उसी कोष्ठिका तक बढ़ा दिया जाएगा जिस कोष्ठिका में उसके किनष्ठ का वेतन है।
- (9) यदि किसी सरकारी सेवक को इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले व्यक्तिगत वेतन मिल रहा है जो उसकी विद्यमान परिलब्धियों के साथ जुड़ने पर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाता है, तो ऐसा आधिक्य दर्शाने वाला अंतर उस सरकारी सेवक को व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।
- (10) (i) ऐसे मामलों में जहां कोई वरिष्ठ सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 से पहले किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया था, संशोधित वेतन संरचना में अपने किनष्ठ जिसे 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया जाता है, से कम वेतन आहरित करता है तो वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन संशोधित वेतन संरचना में बढ़ाकर उस उच्चतर पद पर उसके किनष्ठ के लिए यथा-निर्धारित वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और यह वृद्धि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन किनष्ठ सरकारी सेवक की प्रोन्नित की तारीख से की जाएगी, अर्थात्
 - (क) कनिष्ठ एवं वरिष्ठ दोनों सरकारी सेवक एक ही काडर के हों और जिन पदों पर उन्हें प्रोन्नत किया गया है वे उसी काडर के समरूप पद हों;
 - (ख) निम्नतर और उच्चतर पदों जिनमें वे वेतन पाने के हकदार हैं, की संशोधन-पूर्व वेतन संरचना तथा संशोधित वेतन संरचना समरूप हों;
 - (ग) प्रोन्नित के समय वरिष्ठ सरकारी सेवक कनिष्ठ के वेतन के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहा हो।
 - (घ) विसंगति सीधे तौर पर मूल नियम 22 अथवा संशोधित वेतन संरचना में ऐसी प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य नियम या आदेश के प्रावधानों के सीधे परिणाम के तौर पर पैदा हुई हो :
 - बशर्ते कि यदि कोई कनिष्ठ अधिकारी उसे दी गई किसी अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण विद्यमान वेतन संरचना में वरिष्ठ अधिकारी से अधिक वेतन आहरित कर रहा था तो वरिष्ठ अधिकारी का वेतन बढ़ाने के लिए इस उप-नियम के उपबंध लागू नहीं किए जाएंगे।

- (ii) खंड (i) के अनुसरण में वरिष्ठ अधिकारी के वेतन के पुननिर्धारण से संबंधित आदेश मूल नियम 27 के अधीन जारी किए जाएंगे और वरिष्ठ अधिकारी अपनी अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् वेतन के पुनर्निर्धारण की तारीख से अगली वेतन वृद्धि पाने का हकदार होगा।
- (11) नियम 5 के उपबंधों के अध्यधीन यदि उप नियम (1) के अधीन स्थानापन्न पद पर यथा-निर्धारित वेतन वास्तविक पद में निर्धारित वेतन से कम है, तो स्थानापन्न वेतन वास्तविक वेतन के स्तर पर ही निर्धारित किया जाएगा:
- 8. **01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण**–01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों का वेतन उस पद पर जिस पर कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, के लिए प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन पर या प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा।

बशर्ते, िक 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले नियुक्त ऐसे कर्मचारी का विद्यमान वेतन, मौजूदा वेतन संरचना में पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और यदि उसकी विद्यमान परिलब्धियां उस पद जिस पर उसे 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया है, के लिए प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन अथवा पहली कोष्ठिका से अधिक हो जाती हैं तो ऐसे अंतर का भुगतान उसे व्यक्तिगत वेतन के रूप में किया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।

9. वेतन मैट्रिक्स में वेतन वृद्धि – वेतन वृद्धि, वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल की लम्बवत् कोष्ठिका में यथा-विनिर्दिष्ट रूप में दी जाएगी।

लेवल 4 में 32300 रुपए मूल वेतन प्राप्त
कर रहा कर्मचारी उसी लेवल में लंबवत् नीचे
की ओर कोष्ठिकाओं में चलेगा और वेतन
वृद्धि दिए जाने के पश्चात् उसका मूल वेतन
33300 हो जाएगा।

वेतन बैंड		5	200-202	00				
ग्रेड वेतन	1800	1800 1900 2000		2400	2800			
लेवल	1	2	3	4	5			
1	18000	19900	21700	25500	29200			
2	18500	20500	22400	26300	30100			
3	19100	21100	23100	27100	31000			
4	19700	21700	23800	27900	31900			
5	20300	22400	24500	28700	32900			
6	20900	23100	25200	29600	33900			

7	21500	23800	26000	30500	34900
8	22100	24500	26800	31400	35900
9	22800	25200	27600	32300	37000
				ţ	
10	23500	26000	28400	33300	38100
11	24200	26800	29300	34300	39200

- 10. संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि की तारीख -
- (1) 01 जुलाई की विद्यमान तारीख के स्थान पर वेतन वृद्धि की दो तारीखें होंगी अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई :
 - बशर्ते कि कोई कर्मचारी अपनी नियुक्ति, प्रोन्निति या वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने की तारीख के अनुरूप या तो 01 जनवरी या 01 जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा।
- (2) ऐसा कर्मचारी जिसे 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अविध में नियुक्ति या प्रोन्नित या संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अविध में नियुक्ति या प्रोन्नित या संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।

उदाहरण:

- क. ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जुलाई, 2016 और 01 जनवरी, 2017 के बीच की अविध में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन प्रोन्नित दी गई है, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी:
- ख. ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जनवरी, 2016 और 01 जुलाई, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन प्रोन्नित दी गई हो, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी:

बशर्ते कि ऐसे कर्मचारियों के मामले में, संशोधित वेतन संरचना में जिनका वेतन 01 जनवरी, 2016 को निर्धारित कर दिया गया है, उस लेवल में जिसमें उनका वेतन 01 जनवरी, 2016 को इस प्रकार निर्धारित किया गया था, में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2016 को प्राप्य होगी:

बशर्ते यह भी कि 01 जुलाई, 2016 को वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को प्राप्य होगी।

- (3) ऐसे मामलों में, जहां पदानुक्रम में दो विद्यमान ग्रेडों का विलय कर दिया गया है और निचले ग्रेड में पदस्थ किनष्ठ सरकारी सेवक संशोधित वेतन संरचना में तदनुरूपी लेवल में वरिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन प्राप्त करता है, वहां वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन उसी तारीख से बढ़ाकर उसके किनष्ठ के वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और वह वरिष्ठ सरकारी सेवक इस नियम के अनुसार अपनी अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करेगा।
- 11. **01 जनवरी, 2016 के पश्चात्वर्ती तारीख से वेतन का संशोधन** यदि कोई सरकारी कर्मचारी विद्यमान वेतन संरचना में अपना वेतन आहरित करना जारी रखता है और उसे 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् की किसी तारीख से संशोधित वेतन संरचना में लाया जाता है, तो संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (क) के अनुसार विहित रीति से नियत किया जाएगा।
- 12. केन्द्रीय स्टॉफिंग स्कीम के अधीन केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों की वेतन-रक्षा: यदि केन्द्रीय स्टॉफिंग स्कीम के अधीन केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों का वेतन संशोधित वेतन संरचना में या तो इन नियमों के अनुसार या उस पद पर जिस पर वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त हैं, ऐसे निर्धारण को विनियमित करने वाले निर्देशों के अनुसार निर्धारित कर दिए जाने के पश्चात् उस वेतन से कम होता है जिसके हकदार ये अधिकारी रहे होते यदि वे केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की बजाए अपने मूल काडर में रहे होते और वह वेतन आहरित किया होता, तो वेतन में ऐसे अन्तर की संरक्षा, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से व्यक्तिगत वेतन के रूप में की जाएगी।
- 13. **01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् प्रोन्नति पर वेतन का निर्धारण** संशोधित वेतन संरचना में एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रोन्नति के मामले में, वेतन निर्धारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा:
 - (i) एक वेतनवृद्धि उस लेवल में दी जाएगी जिसमें से कर्मचारी प्रोन्नत किया जा रहा है और उसे उस पद जिसमें प्रोन्नति दी गई है, के लेवल में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य किसी कोष्ठिका में रखा जाएगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका उस लेवल जिसमें प्रोन्नति दी गई है, में उपलब्ध नहीं है तो उसे उस लेवल से अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जाएगा।

उदाहरण:

ा. संशावित वर्तन सरवना म लवल .	पतम बङ
लेवल 4	ग्रेड वेतन
2. संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन: 28700	लेवल
3. प्रोन्नति/एमएसीपी स्कीम के अधीन	1
 वित्तीय उन्नयन दिया गया लेवल 5 में	2
4. लेवल 4 में एक वेतनवृद्धि दिए जाने के	3
पश्चात् वेतन : 29600	

संशोधित वेतन संरचना में लेवल :

1900	2000	2400	2800
2	3	4	-
		-	5
19900	21700	25500	29200
20500	22400	26300	30100
21100	23100	27100	31000
,	20500	20500 22400	20500 22400 26300

5. उन्नत लेवल अर्थात् लेवल 5 में वेतन :	4	19700	21700	23800	27900	31900
30100 (लेवल 5 में 29600 के	5	20300	22400	24500	28700	32900
बराबर या उससे उच्चतर राशि)	6	20900	23100	25200	29600	33900
	7	21500	23800	26000	30500	34900

- (ii) प्रैक्टिस-बंदी भत्ता प्राप्त करने वाले सरकारी सेवकों के संबंध में मूल वेतन+प्रैक्टिस-बंदी भत्ता, शीर्ष लेवल और मंत्रिमंडल सचिव के लेवल के लिए प्रयोज्य संशोधित वेतनमान के मूल वेतन के औसत से अधिक नहीं होगा।
- 14. वेतन की बकाया राशि के भुगतान की विधि बकाया राशि का भुगतान वित्त वर्ष 2016-17 में किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनार्थ: किसी सरकारी सेवक के संबंध में "वेतन की बकाया राशि" का अभिप्राय निम्नलिखित के बीच अंतर से है:

- (i) वेतन और मंहगाई भत्ते जिसका हकदार इन नियमों के अधीन अपने वेतन के संशोधन के कारण वह 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी अवधि के लिए है, का जोड़; और
- (ii) वेतन और महंगाई भत्ते जिसका हकदार वह उस अवधि के लिए रहा होता (चाहे ऐसा वेतन और महंगाई भत्ता प्राप्त किया हो अथवा नहीं) यदि उसका वेतन और भत्ता इस प्रकार संशोधित न किया गया होता, का जोड़।
- 15. नियमों का प्रत्यादेशी प्रभाव मूल नियमों, केन्द्रीय सिविल सेवा (वेतन संशोधन) नियम, 1947, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1960, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1973, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1986, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 और केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के उपबंध, इन नियमों में किए गए अन्यथा उपबंध के सिवाय ऐसे मामलों में उस सीमा तक जहां तक वे नियम इन नियमों से असंगत हैं, लागू नहीं होंगे जहां वेतन इन नियमों के अधीन विनियमित किया गया है।
- 16. शिथिलीकरण की शक्ति राष्ट्रपित का समाधान होने पर कि इन नियमों के सभी अथवा किसी उपबंध के परिचालन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् किठनाई पैदा हो रही है, तो वह, आदेश द्वारा, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों जिन्हें वह मामले पर न्यायसंगत और समतापूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, के अध्यधीन रहते हुए उस नियम को हटा सकते हैं अथवा उसकी अपेक्षाओं को शिथिल कर सकते हैं।
- 17. **निर्वचन** यदि इन नियमों के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो विनिश्चय के लिए इसे केन्द्र सरकार के पास भेजा जाएगा।

अनुसूची [नियम 3 (vi) और 7 (2) देखें]

भाग – क

वेतन मैटिक्स

वेतन बैंड		52	00-2020	0			9300-	34800		15	600-39 [,]	100	37	7400-6700	00	67000- 79000	75500- 80000	80000	90000
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400	5400	6600	7600	8700	8900	10000				
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13ক	14	15	16	17	18
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100	56100	67700	78800	118500	131100	144200	182200	205400	225000	250000
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700	57800	69700	81200	122100	135000	148500	187700	211600		
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300	59500	71800	83600	125800	139100	153000	193300	217900		
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000	61300	74000	86100	129600	143300	157600	199100	224400		
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700	63100	76200	88700	133500	147600	162300	205100			
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500	65000	78500	91400	137500	152000	167200	211300			
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300	67000	80900	94100	141600	156600	172200	217600			
8	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	65200	69000	83300	96900	145800	161300	177400	224100			
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200	71100	85800	99800	150200	166100	182700				
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200	73200	88400	102800	154700	171100	188200				
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300	75400	91100	105900	159300	176200	193800				
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400	77700	93800	109100	164100	181500	199600				
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600	80000	96600	112400	169000	186900	205600				
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900	82400	99500	115800	174100	192500	211800				
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200	84900	102500	119300	179300	198300	218200				
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600	87400	105600	122900	184700	204200					
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100	90000	108800	126600	190200	210300					
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700	92700	112100	130400	195900	216600					
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300	95500	115500	134300	201800						
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000	98400	119000	138300	207900						
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800	101400	122600	142400	214100						
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700	104400	126300	146700							
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700	107500	130100	151100							
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800	110700	134000	155600							
25	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900	114000	138000	160300							
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100	117400	142100	165100							
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400	120900	146400	170100							

वेतन बैंड	5200-20200				9300-34800			15600-39100		37400-67000		67000- 79000	75500- 80000	80000	90000				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400	5400	6600	7600	8700	8900	10000				
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13क	14	15	16	17	18
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800	124500	150800	175200							
29	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300	128200	155300	180500							
30	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900	132000	160000	185900							
31	43600	48500	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600	136000	164800	191500							
32	44900	50000	54600	64000	72800	88700	112400	119300	132500	140100	169700	197200							
33	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115800	122900	136500	144300	174800	203100							
34	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126600	140600	148600	180000	209200							
35	49000	54600	59600	69900	79600	96900	122900	130400	144800	153100	185400								
36	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100	157700	191000								
37	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	138300	153600	162400	196700								
38	53600	59600	65100	76400	87000	105900	134300	142400	158200	167300	202600								
39	55200	61400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900	172300	208700								
40	56900	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800	177500									

भाग – ख

चिकित्सा एवं पराचिकित्सा सेवाओं के लिए और सामान्य वर्गों के लिए उन्नत लेवल

निम्नलिखित तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों के लिए कॉलम (5) में उल्लिखित संशोधित वेतन संरचना में दिया गया लेवल सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और 01 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार, प्रारंभिक निर्धारण, नियम 7 के उप नियम (2) के अनुसार किया जाएगा:

चिकित्सा एवं पराचिकित्सा सेवाएं										
क्र.सं. पद का नाम			ान ग्रेड वेतन	संशोधित वेतन संरचना						
		मौजूदा	ग्रेड वेतन	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	रिपोर्ट का					
		ग्रेड वेतन	जिसके		पैरा					
		````	समरूप		संख्या					
			संशोधित							
			लेवल संस्तुत							
			किए गए हैं							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
1.	<u>ऑप्टोमीट्रिस्ट</u>	2800	4200	लेवल- 6	7.6.73					
2.		ष्ठ <u>ऑप्टोमीट्रिस्ट</u> 4200 4600		लेवल- 7	7.6.73					
3.	3. <u>ऑप्टोमीट्रिस्ट</u> 4		4800	लेवल- 8	7.6.73					

	अधिकारी				
4.	डेंटल मैकेनिक्स और डेंटल तकनीशियन	2400	2800	लेवल- 5	7.6.79
5.	ड्रैसर	1800	2000	लेवल- 3  ड्रैसर की प्रवेश स्तरीय अर्हता को संशोधित करके घावों की मरहम-पट्टी करने के तीन वर्ष के अनुभव के साथ कक्षा XII का उपबंध किए जाने पर यह लेवल दिया जा सकेगा। विद्यमान पदधारकों जिनके पास संशोधित अर्हता नहीं है, को तत्समय प्रतिस्थापन वेतन लेवल दिया जा सकता है। उन्हें संशोधित अर्हता प्राप्त करने अथवा ग्रेड वेतन 1800 रुपए के सदृश वेतन लेवल में पांच वर्ष पूरे करने, जो भी पहले हो, के पश्चात् लेवल-3 प्रदान किया जा सकता है।	7.6.108
			सा	मान्य वर्ग	
6.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) में डेंटल हाइजीएनिस्ट	2400	4200	लेवल- 6 यह लेवल, केन्द्र सरकार के अस्पतालों की पद्धतियों के अुनसार प्रवेश स्तरीय अर्हताओं में एकरूपता लाने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के प्रयासों के अध्यधीन होगा।	7.7.55

भाग – ग

# मंत्रालयों, विभागों और संघ राज्य क्षेत्रों में कतिपय पदों के लिए उन्नत लेवल

निम्नलिखित तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों के लिए कॉलम (5) में उल्लिखित संशोधित वेतन संरचना में दिया गया लेवल सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और 01 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक निर्धारण, नियम 7 के उप नियम (2) के अनुसार किया जाएगा:

क्र. सं.	पद का नाम	विद्यम	गन ग्रेड वेतन	संशोधित वेतन संरचना								
		विद्यमान ग्रेड वेतन	ग्रेड वेतन जिसके समरूप संशोधित लेवल संस्तुत किए गए हैं	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	रिपोर्ट का पैरा संख्या							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							
	पशुपालन विभाग, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय											
1.	केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म में भेड़ की ऊन उतारने वाला -सह- पर्यवेक्षक	1900	2400	लेवल- 4 लेवल 4 और लेवल 2 के बीच एक उपयुक्त लेवल	11.1.38							

		<u> </u>		प्रारंभ किया जाएगा।	
			चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एव		44044
2.	भारतीय औषधि के लिए फार्माकोपिया लैब	2800	4200	लेवल- 6	11.3.11
	का अनुसंधान सहायक				
			डाक विभाग		
3.	निरीक्षक (डाक)	4200	4600	लेवल- 7	11.8.21
4.	सहायक अधीक्षक	4600	4800	लेवल- 8	11.8.21
	(डाक)				
5.	अधीक्षक (डाक)	4800	5400 (वेतन बैंड-2)	लेवल- 9	11.8.21
			संस्कृति मंत्रालय		
6.	भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में सहायक पुरातत्वविद	4200	4600	लेवल- 7	11.11.17
7.	भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में पुरातत्वविद	4600	4800	लेवल- 8	11.11.17
8.	भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में वैज्ञानिक अधिकारी	4600	4800 और 4 वर्ष पश्चात् अकृत्यिक चयन ग्रेड 5400 (वेतन बैंड-2)	लेवल- 8 और 4 वर्ष पश्चात् अकृत्यिक चयन ग्रेड के रूप में लेवल-9	11.11.22
9.	सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में टेक्नीकल रेस्टोरर	2800	4200	लेवल- 6 इस पद का विलय वरिष्ठ संरक्षण सहायक के पद में कर दिया जाएगा।	11.11.28
		 स्वास्थ्य	् एवं परिवार कल्याण मंत्राल	<u>'</u> य	
10.	डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कनिष्ठ ईसीजी तकनीशियन	2400	2800	लेवल- 5	11.20.38
			गृह मंत्रालय		
11.	आसूचना ब्यूरो में सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी-I	4600	4800	लेवल- 8	11.22.85
12.	आसूचना ब्यूरो में सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी- II	4200	4600	लेवल- 7	11.22.85

	अंदग	ान और निकोब	ार द्वीपसमूह संघ राज्	य क्षेत्र									
13.	ग्रामीण विकास विभाग में	2400	2800	लेवल- 5	11.23.46								
	सफाई निरीक्षक												
14.	पोत परिवहन विभाग में सीकनी	1800	2000	लेवल- 3	11.23.54								
15.	कृषि विभाग में कनिष्ठ कृषि	2400	2800	लेवल- 5	11.23.60								
	सहायक/कनिष्ठ मृदा संरक्षण			कृषि सहायक/मृदा									
	सहायक			संरक्षण सहायक के साथ									
				विलय कर दिया गया है									
16.	परिवहन विभाग में बस	1800	1900	लेवल- 2	11.23.69								
परिचालक													
<b>लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र</b> 17. कृषि विभाग में कृषि 2400 2800 लेवल- 5 <b>11.23.110</b>													
17.	्राष विभाग म कृषि पर्यवेक्षक/कनिष्ठ तकनीकी सहायक	2400	2800		11.23.110								
	प्यवद्मक/कानष्ठ तकनाका सहायक			कृषि प्रदर्शक/ उर्वरक प्रदर्शक आदि के साथ									
				विलय									
18.	स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में स्वास्थ्य	2400	2800	लेवल- 5	11.23.112								
10.	·	2400	2000	(1941-3	11.23.112								
निरीक्षक <b>दिल्ली</b>													
19.	विस्तार सहायक (कृषि)	2400	2800	लेवल- 5	11.23.170								
10.	विरसार रहिवक (कृतिव)		प्रन विकास मंत्रालय	(14/1-0	11.23.170								
20.	केन्द्रीय हिंदी निदेशालय में	4200	4600	लेवल- 7	11.24.15								
-0.	मूल्यांकक	00											
		खा	न मंत्रालय	I									
21.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन	4200	4600	लेवल- 7	11.29.15								
	विज्ञान)												
22.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	4200	4600	लेवल- 7	11.29.15								
	(अयस्क प्रसाधन)												
23.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (खनन)	4200	4600	लेवल- 7	11.29.15								
24.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	4200	4600	लेवल- 7	11.29.15								
	(प्रकाशन)												
25.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन	2800	4200	लेवल- 6	11.29.20								
	विज्ञान)												
26.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अयस्क	2800	4200	लेवल- 6	11.29.20								
	प्रसाधन)												
27.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	2800	4200	लेवल- 6	11.29.20								
	(प्रकाशन)												
28.	भारतीय खान ब्यूरो में स्टोर	2800	4200	लेवल- 6	11.29.22								
	कीपर (तकनीकी)												

		4000	1000		44.00.00								
29.	भारतीय खान ब्यूरो में कनिष्ठ	1800	1900	लेवल- 2	11.29.26								
	प्रेस सहायक			इस पद का विलय									
				वरिष्ठ प्रेस सहायक के									
				साथ किया जाएगा									
				और उसे प्रेसमैन कहा									
				जाएगा।									
30.	भारतीय खान ब्यूरो में मशीन मैन	1800	1900	लेबल- 2	11.29.27								
31.	भारतीय खान ब्यूरो में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर	2800	4200	लेवल- 6	11.29.28								
32.	भारतीय खान ब्यूरो में	2400	2800	लेवल-5	11.29.30								
	प्रयोगशाला सहायक												
	ग्रेड-I												
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय													
33.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में उप निरीक्षक	4200	4600	लेवल- 7	11.35.20								
34.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में निरीक्षक	4600	4800	लेवल- 8	11.35.20								
		पोत पी	 रेवहन मंत्रालय										
35.	दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय	1800	1900	लेवल- 2	11.44.13								
	में दीपस्तंभ परिचर												
36.	दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय	2400	2800	लेवल- 5	11.44.13								
	में नौचालन सहायक ग्रेड-III												
37.	दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय	2800	4200	लेवल- 6	11.44.13								
	में नौचालन सहायक ग्रेड <i>-</i> II												
38.	दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय	4200	4600	लेवल- 7	11.44.13								
	में मुख्य दीपपाल												
		शहरी ि	वेकास मंत्रालय										
39.	नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन में	4200	4600	लेवल- 7	11.52.43								
	योजना सहायक												
	जल संस	ाधन, नदी विव	<b>कास और गंगा संरक्ष</b>	ण मंत्रालय									
40.	केन्द्रीय जल आयोग में सहायक	4600	4800	लेवल- 8	11.53.14								
	अनुसंधान अधिकारी												
41.	केन्द्रीय जल आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान सहायक	4200	4600	लेवल- 7	11.53.14								
42.	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में तकनीकी	1800	1900	लेवल- 2	11.53.33								
	ऑपरेटर (ड्रिलिंग)			इस पद का कम्प्रेसर के									
				पद के साथ विलय									
				किया जाएगा।									
	<u> </u>		<u> </u>	म्हा आहुआ।									

		रक्ष	ा मंत्रालय		
43.	इतिहास प्रभाग में अनुसंधान/हेराल्डिक सहायक	4200	4600	लेवल - 7	11.12.81
44.	इतिहास प्रभाग में सहायक निदेशक	4600	4800	लेवल - 8	11.12.81
45.	सीधी भर्ती वाले डिप्लोमा धारक यांत्रिक, भारतीय तटरक्षक	2400	2800	लेवल – 5 यांत्रिक को 6200/- रुपए प्रति माह की दर से भुगतान किया जाए	11.12.18
46.	सारंग लश्कर, भारतीय तटरक्षक	1900	2400	लेवल - 4	11.12.21
47.	भारतीय तटरक्षक के भर्ती किए गए किया जाएगा।	ए कार्मिकों के स	ांबंध में समूह 'जेड' व	ज विलय समूह 'वाई 'में	11.12.15

### विकल्प का फॉर्म

{नियम 6 (2) देखें}

	रागपम ७ (८) ५७,			
में,		_ 01 जन	ावरी, 201 <u>6</u>	से संशोधित वेतन
संरचना का चयन करता हूँ/करती हूँ।				
<del>1</del> ,			अपने	निम्न-उल्लिखित
वास्तविक/स्थानापन्न पद के वेतन बैंड	और ग्रेड वेतन में			
* मेरी अगली वेतनवृद्धि की त	ारीख तक/मेरी पश्चात	वर्ती वेत	नवृद्धि की त	ारीख तक जब मेरा
वेतन बढ़कर	रुपए हो ज	गए/मेरे,	विद्यमान वेत	ान संरचना में वेतन
आहरित करना छोड़ने/बंद करने तक/			के पद पर मे	रि प्रोन्नति/उन्नयन
की तारीख तक बने रहने का चयन कर	ता हूँ/करती हूँ:			
विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन				
	हस्त	ाक्षर		
	न	गाम		
	पर	दनाम		
	कार्यालय जिसमें नियुव	म्त हैं		

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

### वचनबंध

मैं, यह वचन देता हूँ कि मेरा वेतन इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों से विपरीत रीति में निर्धारित हो जाने जिसका पता बाद में लगे, की स्थिति में इस प्रकार किया गया कोई अधिक भुगतान या तो मेरे बकाया भावी भुगतानों में समायोजित करके या फिर अन्य रीति से सरकार को वापस किया जाएगा।

हस्ताक्षर _	
नाम _	
112 1111	

तारीख:

स्थान:

केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 का स्पष्टीकरण ज्ञापन

नियम 1 – यह नियम स्वत: स्पष्ट है।

नियम 2 – इस नियम में कर्मचारियों जिन पर ये नियम लागू होते हैं, के वर्ग निर्धारित किए गए हैं। उप-नियम (2) के अधीन छोड़े गए वर्गों के सिवाए, ये नियम विभागों जिन्हें सिविल प्राक्कलनों में से भुगतान किया जाता है, में सेवारत सभी व्यक्तियों जिन पर राष्ट्रपति का नियंत्रण है, पर लागू होते हैं। ये रेल मंत्रालय के कर्मचारियों और सिविल कार्मिकों जिन्हें रक्षा सेवा प्राक्कलनों में से भुगतान किया जाता है, पर लागू नहीं होते; उनके लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा अलग नियम जारी किए जाएंगे। ये नियम डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवकों पर भी लागू नहीं होते। तथापि, ये नियम कार्य प्रभारित प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं।

नियम 3 और 4 – ये नियम स्वत: स्पष्ट हैं।

नियम 5 – आशय यह है कि उन कर्मचारियों जो मौजूदा वेतन संरचना का चयन करते हैं, के सिवाए सभी सरकारी सेवकों को संशोधित वेतन संरचना में लाया जाए। सरकारी सेवक जो विद्यमान वेतन संरचना में बने रहने के विकल्प का प्रयोग करेंगे, 01 जनवरी, 2016 को प्रभावी दरों पर महंगाई भत्ता प्राप्त करते रहेंगे। यदि कोई सरकारी सेवक वास्तविक हैसियत में स्थायी पद पर है और उच्चतर पद पर स्थानापन्न है, अथवा प्रतिनियुक्ति आदि पर न होता तो एक या एकाधिक पदों पर स्थानापन्न रहा होता तो उसके पास केवल एक वेतनमान के संबंध में ही विद्यमान वेतन संरचना को बनाए रखने का विकल्प है। ऐसा कोई सरकारी सेवक किसी स्थायी पद अथवा किसी एक स्थानापन्न पद के लिए लागू विद्यमान वेतनमान बरकरार रख सकता है। शेष पदों के संबंध में उसे अनिवार्य रूप से संशोधित वेतन संरचना में शामिल किया जाना होगा।

नियम 6 – इस नियम में वह रीति विहित की गई है जिसमें विकल्प का प्रयोग किया जाना है और वह प्राधिकारी भी निर्धारित किया गया है जिसे ऐसे विकल्प की सूचना दी जाएगी। इस विकल्प का प्रयोग इन नियमों के साथ संलग्न फॉर्म में किया जाना है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी सरकारी सेवक के लिए विनिर्दिष्ट समयसीमा में इस विकल्प का प्रयोग करना ही पर्याप्त नहीं है अपितु उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नियत समय-सीमा में यह विकल्प विहित प्राधिकारी के पास पहुंच भी जाए। ऐसे व्यक्तियों जो इन नियमों की अधिसूचना के समय भारत से बाहर हैं, के मामले में वह अवधि जिसके अंदर इस विकल्प का प्रयोग किया जाना है, भारत में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन माह की है। ऐसे सरकारी सेवकों जिनके पदों की संशोधित वेतन संरचना इन नियमों को जारी किए जाने की तारीख के पश्चात् घोषित की जाती है, के मामले में तीन माह की अवधि ऐसी घोषणा की तारीख से शुरू होगी।

ऐसे व्यक्ति जो 01 जनवरी, 2016 और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बीच सेवानिवृत्त हो गए हैं, भी इस विकल्प का प्रयोग करने के पात्र हैं।

नियम 7 – यह नियम 01 जनवरी, 2016 को विद्यमान वेतनमानों में वेतन के वास्तविक निर्धारण से संबंधित है और स्वत: स्पष्ट है। इस नियम का लाभ ऐसे मामलों में स्वीकार्य नहीं हैं जिनमें सरकारी सेवक ने अपने वास्तविक पद के संबंध में संशोधित वेतन संरचना का चयन कर लिया है, किन्तु जिसने किसी स्थानापन्न पद के संबंध में विद्यमान वेतनमान को बरकरार रखा है।

नियम 8 – इस नियम में, 01 जनवरी, 2016 को अथवा इसके पश्चात् सीधी भर्ती पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन के निर्धारण की रीति विहित की गई है।

नियम 9 और 10 – इन नियमों में वह रीति विहित की गई है जिसके अनुसार नई वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि विनियमित की जाएगी।

नियम 11 से 17 - ये नियम स्वत: स्पष्ट हैं।

[फा. सं. 1-2/2016-आईसी]

आर. के. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF FINANCE (Department of Expenditure)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2016

**G.S.R.** 721(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309, and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules, namely:

#### 1. Short title and commencement. –

- (1) These rules may be called the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2016.

#### 2. Categories of Government servants to whom the rules apply.

- (1) Save as otherwise provided by or under these rules, these rules shall apply to persons appointed to civil services and posts in connection with the affairs of the Union whose pay is debitable to the Civil Estimates as also to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department.
- (2) These rules shall not apply to -
  - (i) persons appointed to the Central Civil Services and posts in Group 'A', 'B' and 'C', under the administrative control of the Administrator of the Union Territory of Chandigarh;
  - (ii) persons locally recruited for services in Diplomatic, Consular or other Indian establishments in foreign countries;
  - (iii) persons not in whole-time employment;
  - (iv) persons paid out of contingencies;
  - (v) persons paid otherwise than on a monthly basis including those paid only on a piece rate basis;

- (vi) persons employed on contract except where the contract provides otherwise;
- (vii) persons re-employed in Government service after retirement;
- (viii) any other class or category of persons whom the President may, by order, specifically exclude from the operation of all or any of the provisions contained in these rules.
- 3. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,-
  - (i) "existing basic pay" means pay drawn in the prescribed existing Pay Band and Grade Pay or Pay in the existing scale;
  - (ii) "existing Pay Band and Grade Pay" in relation to a Government servant means the Pay Band and the Grade Pay applicable to the post held by the Government servant as on the date immediately before the notification of these rules whether in a substantive capacity or in officiating capacity;
  - (iii) "existing scale" in relation to a Government servant means the pay scale applicable to the post held by the Government servant as on the date immediately before the notification of these rules in the Higher Administrative Grade, Higher Administrative Grade+, Apex scale and that applicable to Cabinet Secretary whether in a substantive or officiating capacity;
  - (iv) "existing pay structure" in relation to a Government servant means the present system of Pay Band and Grade Pay or the Pay Scale applicable to the post held by the Government servant as on the date immediately before the coming into force of these rules whether in a substantive or officiating capacity.

**Explanation.-**

The expressions "existing basic pay", "existing Pay Band and Grade Pay" and "existing scale", in respect of a Government servant who on the 1st day of January, 2016 was on deputation out of India or on leave or on foreign service, or who would have on that date officiated in one or more lower posts but for his officiating in a higher post, shall mean such basic pay, Pay Band and Grade Pay or scale in relation to the post which he would have held but for his being on deputation out of India or on leave or on foreign service or officiating in higher post, as the case may be;

- (v) "existing emoluments" mean the sum of (i) existing basic pay and (ii) existing dearness allowance at index average as on 1st day of January, 2006;
- (vi) "Pay Matrix" means Matrix specified in Part A of the Schedule, with Levels of pay arranged in vertical cells as assigned to corresponding existing Pay Band and Grade Pay or scale;
- (vii) "Level" in the Pay Matrix shall mean the Level corresponding to the existing Pay Band and Grade Pay or scale specified in Part A of the Schedule;
- (viii) "pay in the Level" means pay drawn in the appropriate Cell of the Level as specified in Part A of the Schedule:
- (ix) "revised pay structure" in relation to a post means the Pay Matrix and the Levels specified therein corresponding to the existing Pay Band and Grade Pay or scale of the post unless a different revised Level is notified separately for that post;
- (x) "basic pay" in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix;
- (xi) "revised emoluments" means the pay in the Level of a Government servant in the revised pay structure; and
- (xii) "Schedule" means a schedule appended to these rules.
- 4. **Level of posts.** The Level of posts shall be determined in accordance with the various Levels as assigned to the corresponding existing Pay Band and Grade Pay or scale as specified in the Pay Matrix.
- 5. **Drawal of pay in the revised pay structure.** Save as otherwise provided in these rules, a Government servant shall draw pay in the Level in the revised pay structure applicable to the post to which he is appointed:

Provided that a Government servant may elect to continue to draw pay in the existing pay structure until the date on which he earns his next or any subsequent increment in the existing pay structure or until he vacates his post or ceases to draw pay in the existing pay structure:

Provided further that in cases where a Government servant has been placed in a higher grade pay or scale between 1st day of January, 2016 and the date of notification of these rules on account of promotion or upgradation, the Government servant may elect to switch over to the revised pay structure from the date of such promotion or upgradation, as the case may be.

Explanation 1.-

The option to retain the existing pay structure under the provisos to this rule shall be admissible only in respect of one existing Pay Band and Grade Pay or scale.

**Explanation 2.-**

The aforesaid option shall not be admissible to any person appointed to a post for the first time in Government service or by transfer from another post on or after the 1st day of January, 2016, and he shall be allowed pay only in the revised pay structure.

**Explanation 3.-**

Where a Government servant exercises the option under the provisos to this rule to retain the existing pay structure of a post held by him in an officiating capacity on a regular basis for the purpose of regulation of pay in that pay structure under Fundamental Rule 22, or under any other rule or order applicable to that post, his substantive pay shall be substantive pay which he would have drawn had he retained the existing pay structure in respect of the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien had his lien not been suspended or the pay of the officiating post which has acquired the character of substantive pay in accordance with any order for the time being in force, whichever is higher.

### 6. Exercise of option.-

(1) The option under the provisos to rule 5 shall be exercised in writing in the form appended to these rules so as to reach the authority mentioned in sub-rule (2) within three months of the date of notification of these rules or where any revision in the existing pay structure is made by any order subsequent to the date of notification of these rules, within three months of the date of such order:

Provided that-

- (i) in the case of a Government servant who is, on the date of such notification or, as the case may be, date of such order, out of India on leave or deputation or foreign service or active service, the said option shall be exercised in writing so as to reach the said authority within three months of the date of his taking charge of his post in India; and
- (ii) where a Government servant is under suspension on the 1st day of January, 2016, the option may be exercised within three months of the date of his return to his duty if that date is later than the date prescribed in this sub-rule.
- (2) The option shall be intimated by the Government servant to the Head of his Office along with an undertaking, in the form appended to these rules.
- (3) If the intimation regarding option is not received by the authority within the time specified in subrule (1), the Government servant shall be deemed to have elected to be governed by the revised pay structure with effect from the 1st day of January, 2016.
- (4) The option once exercised shall be final.
- **Note 1**: Persons whose services were terminated on or after 1st January, 2016 and who could not exercise the option within the prescribed time limit, on account of discharge on the expiry of the sanctioned posts, resignation, dismissal or discharge on disciplinary grounds, shall be entitled to exercise option under sub-rule (1).
- Note 2: Persons who have died on or after the 1st day of January, 2016 and could not exercise the option within prescribed time limit are deemed to have opted for the revised pay structure on and from the 1st day of January, 2016 or such later date as is most beneficial to their dependents if the revised pay structure is more favorable and in such cases, necessary action for payment of arrears shall be taken by the Head of Office.
- **Note 3**: Persons who were on earned leave or any other leave on 1st day of January, 2016 which entitled them to leave salary shall be entitled to exercise option under sub-rule (1).

### 7. Fixation of pay in the revised pay structure.-

(1) The pay of a Government servant who elects, or is deemed to have elected under rule 6 to be governed by the revised pay structure on and from the 1st day of January, 2016, shall, unless in any

case the President by special order otherwise directs, be fixed separately in respect of his substantive pay in the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien if such lien had not been suspended, and in respect of his pay in the officiating post held by him, in the following manner, namely:-

- (A) in the case of all employees
  - the pay in the applicable Level in the **Pay Matrix** shall be the pay obtained by multiplying the existing basic pay by a **factor of 2.57**, rounded off to the nearest rupee and the figure so arrived at will be located in that Level in the Pay Matrix and if such an identical figure corresponds to any Cell in the applicable Level of the Pay Matrix, the same shall be the pay, and if no such Cell is available in the applicable Level, the pay shall be fixed at the immediate next higher Cell in that applicable Level of the Pay Matrix.

#### Illustration:

1. 2. 3.	Existing Pay Band : PB-1 Existing Grade Pay : 2400 Existing Pay in Pay Band : 10160	Pay Band	5 200-20200						
4.	Existing Basic Pay : 12560 (10160+2400)	Grade Pay	1800	1900	2000	2400	2800		
5.	Pay after multiplication by a fitment	Levels	1	2	3	4	5		
	factor of 2.57 : 12560 x 2.57 = 32279.20 (rounded off to 32279)	1	18000	19900	21700	25500	29200		
6.	Level corresponding to GP 2400 : Level 4	2	18500	20500	22400	26300	30100		
7.	Revised Pay in Pay Matrix (either equal	3	19100	21100	23100	27100	31000		
/.	to or next higher to 32279 in Level 4):	4	19700	21700	23800	27900	31900		
	32300.	5	20300	22400	24500	28700	32900		
		6	20900	23100	25200	29600	33900		
		7	21500	23800	26000	30500	34900		
		8	22100	24500	26800	31400	35900		
		9	22800	25200	27600	32300	37000		
		10	23500	26000	28400	33300	38100		
		11	24200	26800	29300	34300	39200		

- (ii) if the minimum pay or the first Cell in the applicable Level is more than the amount arrived at as per sub-clause (i) above, the pay shall be fixed at minimum pay or the first Cell of that applicable Level.
- (B) In the case of medical officers in respect of whom Non Practicing Allowance (NPA) is admissible, the pay in the revised pay structure shall be fixed in the following manner:
- (i) the existing basic pay shall be multiplied by a factor of 2.57 and the figure so arrived at shall be added to by an amount equivalent to Dearness Allowance on the pre-revised Non-Practicing Allowance admissible as on 1st day of January, 2006. The figure so arrived at will be located in that Level in the Pay Matrix and if such an identical figure corresponds to any Cell in the applicable Level of the Pay Matrix, the same shall be the pay, and if no such Cell is available in the applicable Level, the pay shall be fixed at the immediate next higher Cell in that applicable Level of the Pay Matrix.
- (ii) The pay so fixed under sub-clause (i) shall be added by the pre-revised Non Practicing Allowance admissible on the existing basic pay until further decision on the revised rates of Non Practicing Allowance.

### Illustration:

1.	Existing Pay Band : PB-3		_		
2.	Existing Grade Pay : 5400			15/00 20100	
3.	Existing pay in Pay Band : 15600	Pay Band		15600-39100	)
4.	Existing Basic Pay: 21000	G 1 B	7.400	((00	7.00
5.	25% NPA on Basic Pay : 5250	Grade Pay	5400	6600	7600
6.	DA on NPA@ 125% : 6563	Levels	10	11	12
7.	Pay after multiplication by a fitment factor of 2.57:	1	56100	67700	78800
	21000 x 2.57 = 53970	2	57800	69700	81200
8.	DA on NPA: 6563 (125% of 5250)	3	59500	71800	83600
9.	Sum of serial number 7 and 8 = 60533				
10.	Level corresponding to Grade Pay 5400 (PB-3): Level 10	4	61300	74000	86100
11.	Revised Pay in Pay Matrix (either equal to or next higher to 60540 in Level 10): 61300	5	63100	76200	88700
12.	Pre-revised Non Practicing Allowance : 5250				
13.	Revised Pay + pre-revised Non Practicing Allowance : 66550	6	65000	78500	91400

Where a post has been upgraded as a result of the recommendations of the Seventh Central Pay Commission as indicated in Part B or Part C of the Schedule, the existing basic pay will be arrived at by adding the Pay drawn by the concerned employee in the existing Pay Band plus the Grade Pay corresponding to the Level to which the post has been upgraded and, the fixation of pay shall be done in the manner prescribed in accordance with clause (A) of sub-rule (1).

#### Illustration:

1. 2.	Existing Pay Band : PB-1 Existing Grade Pay : 2400	Pay Band	5200-20200						
3.	Existing basic pay: 12560	Grade Pay	1800	1900	2000	2400	2800		
4.	Upgraded Grade Pay : 2800	Levels	1	2	3	4	5		
5.	Pay for the purpose of fixation: 12960 (10160+2800)	1	18000	19900	21700	25500	29200		
		2	18500	20500	22400	26300	30100		
6.	Pay after multiplying serial number 5	3	19100	21100	23100	27100	31000		
	with a fitment factor of 2.57 : 33307.20 (rounded off to 33307)	4	19700	21700	23800	27900	31900		
7.	Level corresponding to Grade Pay 2800 :	5	20300	22400	24500	28700	32900		
,,	Level 5	6	20900	23100	25200	29600	33900		
8.	Revised Pay in Pay Matrix (either equal to or next higher to 33307 in Level 5): 33900.	7	21500	23800	26000	30500	34900		

- (3) A Government servant who is on leave on the 1st day of January, 2016 and is entitled to leave salary shall be entitled to pay in the revised pay structure from 1st day of January, 2016 or the date of option for the revised pay structure.
- (4) A government servant who is on study leave on the 1st day of January, 2016 shall be entitled to the pay in the revised pay structure from 1st day of January, 2016 or the date of option.

- (5) A Government servant under suspension, shall continue to draw subsistence allowance based on existing pay structure and his pay in the revised pay structure shall be subject to the final order on the pending disciplinary proceedings.
- Where a Government servant holding a permanent post is officiating in a higher post on a regular basis and the pay structure applicable to these two posts are merged into one Level, the pay shall be fixed under sub-rule (1) with reference to the officiating post only and the pay so fixed shall be treated as substantive pay.
- (7) Where the existing emoluments exceed the revised emoluments in the case of any Government servant, the difference shall be allowed as personal pay to be absorbed in future increases in pay.
- (8) Where in the fixation of pay under sub-rule (1), the pay of a Government servant, who, in the existing pay structure, was drawing immediately before the 1st day of January, 2016 more pay than another Government servant junior to him in the same cadre, gets fixed in the revised pay structure in a Cell lower than that of such junior, his pay shall be stepped up to the same Cell in the revised pay structure as that of the junior.
- (9) Where a Government servant is in receipt of personal pay immediately before the date of notification of these rules, which together with his existing emoluments exceed the revised emoluments, then the difference representing such excess shall be allowed to such Government servant as personal pay to be absorbed in future increase in pay.
- (10) (i) In cases where a senior Government servant promoted to a higher post before the 1st day of January, 2016 draws less pay in the revised pay structure than his junior who is promoted to the higher post on or after the 1st day of January, 2016, the pay of senior Government servant in the revised pay structure shall be stepped up to an amount equal to the pay as fixed for his junior in that higher post and such stepping up shall be done with effect from the date of promotion of the junior Government servant subject to the fulfillment of the following conditions, namely:-
  - (a) both the junior and the senior Government servants belong to the same cadre and the posts in which they have been promoted are identical in the same cadre;
  - (b) the existing pay structure and the revised pay structure of the lower and higher posts in which they are entitled to draw pay are identical;
  - (c) the senior Government servants at the time of promotion are drawing equal or more pay than the junior;
  - (d) the anomaly is directly as a result of the application of the provisions of Fundamental Rule 22 or any other rule or order regulating pay fixation on such promotion in the revised pay structure:

Provided that if the junior officer was drawing more pay in the existing pay structure than the senior by virtue of any advance increments granted to him, the provisions of this subrule shall not be invoked to step up the pay of the senior officer.

- (ii) The order relating to re-fixation of the pay of the senior officer in accordance with clause (i) shall be issued under Fundamental Rule 27 and the senior officer shall be entitled to the next increment on completion of his required qualifying service with effect from the date of re-fixation of pay.
- (11) Subject to the provisions of rule 5, if the pay as fixed in the officiating post under sub-rule (1) is lower than the pay fixed in the substantive post, the former shall be fixed at the same stage as the substantive pay.
- 8. **Fixation of pay of employees appointed by direct recruitment on or after 1st day of January, 2016.**The pay of employees appointed by direct recruitment on or after 1st day of January, 2016 shall be fixed at the minimum pay or the first Cell in the Level, applicable to the post to which such employees are appointed:

Provided that where the existing pay of such employee appointed on or after 1st day of January, 2016 and before the date of notification of these rules, has already been fixed in the existing pay structure and if his existing emoluments happen to exceed the minimum pay or the first Cell in the Level, as applicable to the post to which he is

appointed on or after 1st day of January, 2016, such difference shall be paid as personal pay to be absorbed in future increments in pay.

9. **Increments in Pay Matrix.**—The increment shall be as specified in the vertical Cells of the applicable Level in the Pay Matrix.

#### Illustration:

An employee in the Basic Pay of 32300 in Level 4 will move vertically down the same Level in the cells and on grant of increment, his basic pay will be 33300.

Pay Band	5200-20200												
Grade Pay	1800	1900	1900 2000		2800								
Levels	1	2	3	4	5								
1	18000	19900	21700	25500	29200								
2	18500	20500	22400	26300	30100								
3	19100	21100	23100	27100	31000								
4	19700	21700	23800	27900	31900								
5	20300	22400	24500	28700	32900								
6	20900	23100	25200	29600	33900								
7	21500	23800	26000	30500	34900								
8	22100	24500	26800	31400	35900								
9	22800	25200	27600	32300	37000								
				$\downarrow$									
10	23500	26000	28400	33300	38100								
11	24200	26800	29300	34300	39200								

- 10. Date of next increment in revised pay structure.-
- (1) There shall be two dates for grant of increment namely, 1st January and 1st July of every year, instead of existing date of 1st July:

Provided that an employee shall be entitled to only one annual increment either on 1st January or 1st July depending on the date of his appointment, promotion or grant of financial upgradation.

(2) The increment in respect of an employee appointed or promoted or granted financial upgradation including upgradation under Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) during the period between the 2nd day of January and 1st day of July (both inclusive) shall be granted on 1st day of January and the increment in respect of an employee appointed or promoted or granted financial upgradation including upgradation under MACPS during the period between the 2nd day of July and 1st day of January (both inclusive) shall be granted on 1st day of July.

#### **Illustration:**

- (a) In case of an employee appointed or promoted in the normal hierarchy or under MACPS during the period between the 2nd day of July, 2016 and the 1st day of January, 2017, the first increment shall accrue on the 1st day of July, 2017 and thereafter it shall accrue after one year on annual basis.
- (b) In case of an employee appointed or promoted in the normal hierarchy or under MACPS during the period between 2nd day of January, 2016 and 1st day of July, 2016, who did not draw any increment on 1st day of July, 2016, the next increment shall accrue on 1st day of January, 2017 and thereafter it shall accrue after one year on annual basis:

Provided that in the case of employees whose pay in the revised pay structure has been fixed as on 1st day of January, the next increment in the Level in which the pay was so fixed as on 1st day of January, 2016 shall accrue on 1st day of July, 2016:

Provided further that the next increment after drawal of increment on 1st day of July, 2016 shall accrue on 1st day of July, 2017.

- (3) Where two existing Grades in hierarchy are merged and the junior Government servant in the lower Grade happens to draw more pay in the corresponding Level in the revised pay structure than the pay of the senior Government servant, the pay of the senior government servant shall be stepped up to that of his junior from the same date and he shall draw next increment in accordance with this rule.
- 11. **Revision of pay from a date subsequent to 1st day of January, 2016.**—Where a Government servant who continues to draw his pay in the existing pay structure is brought over to the revised pay structure from a date later than 1st day of January, 2016, his pay in the revised pay structure shall be fixed in the manner prescribed in accordance with clause (A) of sub-rule (1) of rule 7.
- 12. **Pay protection to officers on Central deputation under Central Staffing Scheme.**—If the pay of the officers posted on deputation to the Central Government under Central Staffing Scheme, after fixation in the revised pay structure either under these rules or as per the instructions regulating such fixation of pay on the post to which they are appointed on deputation, happens to be lower than the pay these officers would have been entitled to, had they been in their parent cadre and would have drawn that pay but for the Central deputation, such difference in the pay shall be protected in the form of Personal Pay with effect from the date of notification of these rules.
- 13. **Fixation of pay on promotion on or after 1st day of January, 2016.**—The fixation of pay in case of promotion from one Level to another in the revised pay structure shall be made in the following manner, namely:-
  - (i) One increment shall be given in the Level from which the employee is promoted and he shall be placed at a Cell equal to the figure so arrived at in the Level of the post to which promoted and if no such Cell is available in the Level to which promoted, he shall be placed at the next higher Cell in that Level.

### Illustration:

1.	Level in the revised pay structure: Level 4	Pay Band	5200-20200							
2.	Basic Pay in the revised pay structure: 28700	Grade Pay	1800	1900	2000	2400	2800			
3.	Granted promotion/financial upgradation under MACPS in	Levels	1	2	3	4	5			
	Level 5	1	18000	19900	21700	25500	29200			
		2	18500	20500	22400	26300	30100			
4.	Pay after giving one increment in Level 4: 29600	3	19100	21100	23100	27100	31000			
		4	19700	21700	23800	27900	31900			
5.	Pay in the upgraded Level i.e.	5	20300	22400	24500	28700	32900			
	Level 5 : 30100 (either equal to or next higher to 29600 in	6	20900	23100	25200	29600	33900			
	Level 5)	7	21500	23800	26000	30500	34900			
				·						

(ii) In the case of Government servants receiving Non Practicing Allowance, their basic pay plus Non Practicing Allowance shall not exceed the average of basic pay of the revised scale applicable to the Apex Level and the Level of the Cabinet Secretary.

14. **Mode of payment of arrears of pay.**—The arrears shall be paid during the Financial Year 2016-2017.

**Explanation.-** For the purpose of this rule, "arrears of pay" in relation to a Government servant, means the difference between-

- (i) the aggregate of the pay and dearness allowance to which he is entitled on account of the revision of his pay under these rules for the period effective from the 1st day of January, 2016; and
- (ii) the aggregate of the pay and dearness allowance to which he would have been entitled (whether such pay and dearness allowance had been received or not) for that period had his pay and allowances not been so revised.
- 15. **Overriding effect of rules.**—The provisions of the Fundamental Rules, the Central Civil Services (Revision of Pay) Rules, 1947, the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1960, the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1973, the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1986, the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1997 and the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 shall not save as otherwise provided in these rules, apply to cases where pay is regulated under these rules, to the extent they are inconsistent with these rules.
- 16. **Power to relax.**—Where the President is satisfied that the operation of all or any of the provisions of these rules causes undue hardship in any particular case, he may, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as he may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.
- 17. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of any of the provisions of these rules, it shall be referred to the Central Government for decision.

#### **SCHEDULE**

#### [See rules 3 (vi) and 7(2)]

#### PART A

### Pay Matrix

	Pay Mairix																		
Pay Band	5200-20200 9300-34			-34800		1	5600-391	100	37400-67000			67000- 79000	75500- 80000	80000	90000				
Grade Pay	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400	5400	6600	7600	8700	8900	10000				
Level	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13A	14	15	16	17	18
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100	56100	67700	78800	118500	131100	144200	182200	205400	225000	250000
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700	57800	69700	81200	122100	135000	148500	187700	211600		
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300	59500	71800	83600	125800	139100	153000	193300	217900		
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000	61300	74000	86100	129600	143300	157600	199100	224400		
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700	63100	76200	88700	133500	147600	162300	205100			
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500	65000	78500	91400	137500	152000	167200	211300			
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300	67000	80900	94100	141600	156600	172200	217600			
8	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	65200	69000	83300	96900	145800	161300	177400	224100			
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200	71100	85800	99800	150200	166100	182700				
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200	73200	88400	102800	154700	171100	188200				
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300	75400	91100	105900	159300	176200	193800				
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400	77700	93800	109100	164100	181500	199600				

Pay Band				9300-34800		15600-39100		37400-67000		)	67000- 79000	75500- 80000	80000	90000					
Grade Pay	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400	5400	6600	7600	8700	8900	10000				
Level	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13A	14	15	16	17	18
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600	80000	96600	112400	169000	186900	205600				
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900	82400	99500	115800	174100	192500	211800				
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200	84900	102500	119300	179300	198300	218200				
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600	87400	105600	122900	184700	204200					
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100	90000	108800	126600	190200	210300					
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700	92700	112100	130400	195900	216600					
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300	95500	115500	134300	201800						
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000	98400	119000	138300	207900						
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800	101400	122600	142400	214100						
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700	104400	126300	146700							
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700	107500	130100	151100							
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800	110700	134000	155600							
25	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900	114000	138000	160300							
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100	117400	142100	165100							
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400	120900	146400	170100							
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800	124500	150800	175200							
29	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300	128200	155300	180500							
30	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900	132000	160000	185900							
31	43600	48500	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600	136000	164800	191500							
32	44900	50000	54600	64000	72800	88700	112400	119300	132500	140100	169700	197200							
33	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115800	122900	136500	144300	174800	203100							
34	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126600	140600	148600	180000	209200							
35	49000	54600	59600	69900	79600	96900	122900	130400	144800	153100	185400								
36	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100	157700	191000								
37	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	138300	153600	162400	196700								
38	53600	59600	65100	76400	87000	105900	134300	142400	158200	167300	202600								
39	55200	61400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900	172300	208700								
40	56900	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800	177500									

### PART B

### UPGRADED LEVELS FOR MEDICAL AND PARAMEDICAL SERVICES AND COMMON CATEGORIES

The Level in the revised pay structure mentioned in column (5) for the posts mentioned in column (2) of the Table below have been approved by the Government and the initial fixation as on the 1st day of January, 2016 shall be made in accordance with sub-rule (2) of rule 7:

Medical and Paramedical Services									
Sl.	Name of the		ng Grade Pay	Revised Pay Structure					
No.	Post	Existing	Grade Pay	Level in Pay Matrix	Para No. of the				
		Grade Pay	corresponding to		Report				
			which revised						
			Levels have been recommended						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
(1)	(2)	(5)	(-1)	(5)	(0)				
1.	Optometrist	2800	4200	L- 6	7.6.73				
2.	Senior Optometrist	4200	4600	L- 7	7.6.73				
3.	Optometrist	4600	4800	L- 8	7.6.73				
]	Officer	1000	1000	2 0	7.0.70				
4.	Dental	2400	2800	L- 5	7.6.79				
	Mechanics and								
	Dental								
	Technician	1000	2000	L- 3	7 ( 100				
5.	Dresser	1800	2000	L- 3 This is subject to revision	7.6.108				
				of the entry level					
				qualification of Dressers to					
				provide for Class XII with					
				three years' experience of					
				dressing of wounds. The					
				existing incumbents not					
				possessing the revised					
				qualification may be					
				granted replacement pay					
				level for the time being.					
				They may be granted the					
				Level 3 after acquiring the					
				revised qualification or on completion of five years in					
				the pay level corresponding					
				to Grade Pay 1800,					
				whichever is earlier.					
	_		Common Categor	y					
6.	Dental	2400	4200	L- 6	7.7.55				
	Hygienist in			This is subject to the					
	Central			administrative ministry					
	Government			taking steps to bring					
	Health Scheme (CGHS)			uniformity in the entry level qualifications on the					
	(СОПЗ)			patterns of those in Central					
				Government hospitals.					
L	1			Government nospitais.					

PART C

## UPGRADED LEVELS FOR CERTAIN POSTS IN MINISTRIES, DEPARTMENTS AND UNION TERRITORIES

The Level in the revised pay structure mentioned in column (5) for the posts mentioned in column (2) of the Table below have been approved by the Government and the initial fixation as on the 1st day of January, 2016 shall be made in accordance with sub-rule (2) of rule 7:

[ भाग II-खण्ड 3(i) ] भारत का राजपत्र : असाधारण 33

Sl. No.	Name of the		ng Grade Pay	Revised Pay Structure			
	Post	Existing Grade Pay	Grade Pay corresponding to which revised Levels have been recommended	Level in Pay Matrix	Para No. of the Report		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
				ooperation and Farmer			
1.	Sheep Shearer cum Supervisor in Central Sheep Breeding Farm	1900	2400	L- 4 An appropriate level between Level 4 and Level 2 shall be introduced.	11.1.38		
				Siddha and Homeopath			
2.	Research Assistant of Pharmacopoeia Lab for Indian Medicine	2800	4200	L- 6	11.3.11		
2			epartment of Posts		44.0.04		
3.	Inspector (Posts)	4200	4600	L- 7	11.8.21		
4.	Assistant Superintendant (Posts)	4600	4800	L- 8	11.8.21		
5.	Superintendant (Posts)	4800	5400 (PB-2)	L- 9	11.8.21		
			linistry of Culture				
6.	Assistant Archivist in National Archives of India	4200	4600	L- 7	11.11.17		
7.	Archivist in National Archives of India	4600	4800	L- 8	11.11.17		
8.	Scientific Officer in National archives of India	4600	4800 and Nor Functional Selection Grade 5400 (PB-2 after 4 years	n Non Functional	11.11.22		
9.	Technical Restorer in National Research Laboratory for conservation of Cultural Property	2800	4200	L- 6 The post shall be merged with Senior Conservation Assistant	11.11.28		
10	Iumion ECC		Health and Family We		11 20 20		
10.	Junior ECG Technician of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital	2400	2800	L- 5	11.20.38		
	T		stry of Home Affairs		44.55.5		
11.	Assistant Central	4600	4800	L- 8	11.22.85		

		1			
	Intelligence				
	Officer-I of				
	Intelligence				
	Bureau				
12.	Assistant 4200		4600	L- 7	11.22.85
	Central				
	Intelligence				
	Officer-II of				
	Intelligence				
	Bureau				
	Union Terr	itory of A	ndaman and Ni	icobar Islands	•
13.	Sanitary Inspector in	2400	2800	L- 5	11.23.46
	Department of Rural				
	Development				
14.	Seacunny of Department of	1800	2000	L- 3	11.23.54
	Shipping				
15.	Junior Agriculture	2400	2800	L- 5	11.23.60
10.	Assistant/Junior Soil	00	2000	Merger with	11.20.00
	Conservation Assistant of			Agriculture	
	Department of Agriculture			Assistant/Soil	
	Department of righteureure			conservation	
				Assistant	
16.	Bus Conductors of	1800	1900	L- 2	11.23.69
10.	Transport Department	1000	1700	L- 2	11.25.07
		ion Torrit	ory of Lakshad	lwoon	
17.	Agricultural Supervisor/	2400	2800	L- 5	11.23.110
17.	Junior Technical Assistant	2400	2800	Merge with	11.25.110
	of Department of			Agriculture	
	Agriculture			Demonstrator/	
				Fertiliser	
10	II 14 I C	2400	2000	Demonstrator etc.	11 02 110
18.	Health Inspector of	2400	2800	L- 5	11.23.112
	Department of Health				
	Services				
10	In	2400	Delhi	T * ~	11 02 150
19.	Extension Assistant	2400	2800	L- 5	11.23.170
	(Agriculture)				
			n Resource De		
20.	Evaluators of Central Hindi	4200	4600	L- 7	11.24.15
	Directorate				
			stry of Mines		
21.	Senior Technical Assistant	4200	4600	L- 7	11.29.15
	(Chemistry)				
22.	Senior Technical Assistant	4200	4600	L- 7	11.29.15
	(Ore Dressing)				
23.	Senior Technical Assistant	4200	4600	L- 7	11.29.15
	(Mining)				
24.	Senior Technical Assista	ant 420	0 4600	L- 7	11.29.15
	(Publication)				
25.	Junior Technical Assista	ant 280	0 4200	L- 6	11.29.20
	(Chemistry)				
26.	Junior Technical Assistant (C	)re 280	0 4200	L- 6	11.29.20
20.	Dressing)	250	1200	_ ~ ~	
27.	Junior Technical Assista	ant 280	0 4200	L- 6	11.29.20
۷1.	(Publication)	iii 200	4200	L- 0	11.47.40
28.	Store Keeper (Tech) in Indi	an 280	0 4200	L- 6	11.29.22
28.	Bureau of Mines	.a11 200	4200	L- 0	11.47.44
	Dureau of Milles			1	

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 35

20		1000	1000	<u> </u>	44.00.00
29.	Junior Press Assistant in Indian Bureau of Mines	1800	1900	L- 2 The post shall be merged with Senior Press Assistant and	11,29.26
				called Press Man	
30.	Machine Man in Indian Bureau of Mines	1800	1900	L- 2	11.29.27
31.	Electrical Supervisor in Indian Bureau of Mines	2800	4200	L- 6	11.29.28
32.	Lab Assistant Grade- I in Indian Bureau of Mines	2400	2800	L-5	11.29.30
	Ministry of Person	onnel, Pub	lic Grievanc	es and Pension	
33.	Sub-Inspector of Central Bureau of Investigation	4200	4600	L- 7	11.35.20
34.	Inspector of Central Bureau of Investigation	4600	4800	L- 8	11.35.20
		Ministry o	f Shipping		
35.	Light House Attendant of Directorate of Light House and Lightships	1800	1900	L- 2	11.44.13
36.	Navigational Assistant Grade III of Directorate of Light House and Lightships	2400	2800	L- 5	11.44.13
37.	Navigational Assistant Grade II of Directorate of Light House and Light Ships	2800	4200	L- 6	11.44.13
38.	Head Light Keeper of Directorate of Light House and Light Ships	4200	4600	L- 7	11.44.13
			an Developn		
39.	Planning Assistant of Town and Country Planning Organization	4200	4600	L- 7	11.52.43
		Water Re	sources, Riv	er Development and Ga	nga Rejuvenation
40.	Assistant Research Officer, Central Water Commission	4600	4800	L- 8	11.53.14
41.	Senior Research Assistant of Central Water Commission	4200	4600	L- 7	11.53.14
42.	Technical Operator (Drilling) of Central Ground Water Board	1800	1900	L- 2 The post shall be merged with the post of Compressor	11.53.33
					inistry of Defence
43.	Research/Heraldic Assistant of History Division	4200	4600	L-7	11.12.81
44.	Assistant Director of History Division	4600	4800	L-8	11.12.81
45.	Direct Entry Diploma Holder Yantrik, Indian Coast Guard	2400	2800	L-5 Yantrik Pay to be paid @ Rs. 6200/- p.m.	11.12.18
46.	Sarang Lascar, Indian Coast Guard	1900	2400	L-4	11.12.21
47.	Group "Z" shall be merged into the Indian Coast Guard	Group "Y"	in respect of	f Enrolled Personnel of	11.12.15

#### FORM OF OPTION

	[See rule 6 (2)]
*1.	I, hereby elect the revised pay structure with effec
	from 1st January, 2016.
[*] 2.	I, hereby elect to continue on Pay Band and Grade
	Pay of my substantive / officiating post mentioned below until:
	* the date of my next increment / the date of my subsequent increment raising my pay to Rs / I vacate or cease to draw pay in the existing pay structure / the date of my promotion/upgradation to the post of
	Existing Pay Band and Grade Pay
	Signature
	Name
	Designation
	Office in which employed
k	To be scored out, if not applicable.
	UNDERTAKING
	I hereby undertake that in the event of my pay having been fixed in a manner contrary to the provisions and in these Rules, as detected subsequently, any excess payment so made shall be refunded by me to the nament either by adjustment against future payments due to me or otherwise.
	Signature
	Name
	Designation

#### MEMORANDUM EXPLANATORY TO THE CENTRAL CIVIL SERVICES (REVISED PAY) RULES, 2016

**Rule 1**- This rule is self-explanatory.

Date : Place :

Rule 2- This rule lays down the categories of employees to whom the rules apply. Except for the categories excluded under sub-rule (2), the rules are applicable to all persons under the rule making control of the President serving in Departments paid from Civil Estimates. They do not apply to the employees under the Ministry of Railways and civilian personnel paid from Defence Services Estimates, for whom separate rules will be issued by the Ministries concerned. The rules do not also apply to Gramin Dak Sevaks in the Department of Posts. The rules, however, apply to work charged establishments.

Rule 3 and 4- These rules are self-explanatory.

Rule 5- The intention is that all Government servants should be brought over to the revised pay structure except those who elect existing pay structure. The Government servants who exercise the option to continue in the existing pay structure will continue to draw the dearness allowance at the rates in force on 1st January, 2016. If a Government servant is holding permanent post in a substantive capacity and officiating in a higher post, or would have officiated in one or more posts but for his being on deputation etc., he has the option to retain the existing pay structure only in respect of one scale. Such a Government servant may retain the existing scale applicable to a permanent post or any one of the officiating posts. In respect of the remaining posts he will necessarily have to be brought over to the revised pay structure.

**Rule 6-** This rule prescribes the manner in which option has to be exercised and also the authority who shall be apprised of such option. The option has to be exercised in the form appended to the rules. It should be noted that it is not sufficient for a Government servant to exercise the option within the specified time limit but also to ensure that it reaches the prescribed authority within the time limit. In the case of persons who are outside India at the time of notification of these rules, the period within which the option has to be exercised is three months from the date they

take over charge of the post in India. In the case of Government servants the revised pay structure of whose posts are announced subsequent to the date of issue of these rules, the period of three months will run from the date of such announcement.

Persons who have retired between 1st January 2016 and the date of notification of these rules are also eligible to exercise option.

**Rule 7-** This rule deals with the actual fixation of pay in the existing scales on 1st January, 2016 and is self explanatory. The benefit of this rule is not admissible in cases where a Government servant has elected the revised pay structure in respect of his substantive post, but has retained the existing scale in respect of an officiating post.

**Rule 8-** This rule prescribes the method of fixation of pay of employees appointed on direct recruitment on or after 1st day of January, 2016.

Rule 9 and 10- These rules prescribe the manner in which the next increment in the new pay structure shall be regulated.

Rules 11 to 17- These rules are self-explanatory.

[F. No.1-2/2016-IC]

R. K. CHATURVEDI, Jt. Secy.



### भारत सरकार Government of India परमाण् ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy सचिवालय समन्वय अनुभाग Secretariat Coordination Section

अण्शक्ति भवन Anushakti Bhavan, छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग C.S.M Marg,

> मुंबई Mumbai - 400 001. (**☎**022- 22862661)

e-mail: sectcord@dae.gov.in

No. 8/4/2016-SCS/ 9894.

ज्लाई July 29, 2016,

### <u>कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM</u>

विषय : परमाणु अर्जा विभाग में पदों के लिए संशोधित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स). Subject: Revised pay structure (Pay Matrix) for the posts in the Department of Atomic Energy.

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने निर्णय लिया है कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 25.07.2016 को जीएसआर संख्या 721 (ई) के अंतर्गत अधिसूचित केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 3 तथा 4 के उद्देश्य के लिए उपर्युक्त नियमावली के नियम 3 (vi) तथा 7 (2), जो जनवरी, 2016 के पहले दिन से लागू हुआ माना जाता है, के साथ पढ़ा गया सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2016 की अनुसूची के भाग-ए के अनुसार संशोधित वेतन संरचना अर्थात् वेतन मैट्रिक्स परमाण् ऊर्जा विभाग में पदों के लिए तत्काल लाग् किया जाएगा।

The undersigned is directed to say that the President is pleased to decide that for the purpose of Rule 3 and 4 of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 notified vide GSR No.721(E) dated 25.07.2016 by the Ministry of Finance, Department of Expenditure, the revised pay structure i.e. Pay Matrix as per Part-A of Schedule of CCS(RP) Rules 2016 read with Rules 3(vi) and 7(2) of the said Rules, which is deemed to have come into force on the First day of shall be implemented for the posts in the Department of Atomic Energy January, 2016, immediately.

इसके अतिरिक्त, परमाणु ऊर्जा विभाग में पर्दों के लिए संशोधित वेतन संरचना को लागू करते समय ग्रुप 2. 'ए' 'बी' तथा 'सी' के सिविल कर्मचारी तथा अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मियों से संबंधित वेतन पर 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को दर्शने वाला विवरण तथा वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 25.07.2016 के संकल्प संख्या 1-2/16-आईसी के अनुलग्नक-॥ में दिए गए अनुसार और उन पर सरकार के निर्णय पर भी विचार किया जाए।

Further, the statement showing the recommendations of 7th CPC on pay relating to Civilian Employees in Group 'A' 'B' and 'C' and personnel of All India Services and Government's decision thereon as referred in Annexure -II of Ministry of Finance, Department of Expenditure Resolution No.1-2/16-IC dated 25.07.2016 may also be taken into consideration while implementing revised pay structure for the posts in the Department of Atomic Energy.

सरकार भत्तों पर संस्तुतियाँ (महंगाई भत्ते को छोड़कर) समिति को भेजेगी। उक्त समिति अपनी रिपोर्ट चार महीनों की अविध के अंदर प्रस्तुत करेगी। जब तक इस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भत्तों के संबंध में अंतिम निर्णय लिया नहीं जाता है तब तक सभी भत्ते वर्तमान वेतन संरचना में वर्तमान दरों से भुगतान किए जाते रहेंगे, मानो कि वेतन पहली जनवरी, 2016 से संशोधित न किया गया हो।

The Government will refer the recommendations on Allowances (except Dearness Allowance) to the Committee. The said Committee will submit its report within a period of four months. Till a final decision on Allowances is taken based on the recommendations of this Committee, all Allowances will continue to be paid at existing rates in existing pay structure, as if the pay had not been revised with effect from the First day of January, 2016.

4. व्यय विभाग, वित्त मंत्रात्य द्वारा जारी दिनांक 25/07/2016 के संकल्प सं: 1-2/2016-आईसी और दिनांक 25/07/2016 के जीएसआर सं: 721(ई) द्वारा अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली की सॉफ्ट प्रतियाँ पीडीएफ फाइल के रूप में भारत सरकार के निर्णय के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने के अनुदेशों के साथ तत्काल संदर्भ हेतु इस कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न की गई हैं।

The soft copy each of Resolution No.1-2/2016-IC dated 25.07.2016 and Central Civil Services (Revised Pay) Rules, notified vide GSR No.721(E) dated 25.07.2016 issued by Ministry of Finance, Department of Expenditure is attached as **pdf** file, with this OM for ready reference, with the instructions to take appropriate action for implementation of the decision of the Government of India.

5. इसे सचिव, पऊवि के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Secretary, DAE.

संलग्नक Encl: यथोपरि As above.

(एस. एस. प्रसम्बराव / S. S. Prasad Rao)

अवर सचिव(एससीएस)/Under Secretary(SCS)

**2** 022-22026861

ई-मेल Email: usvig@dae.gov.in

- 1. पऊवि की सभी संघटक इकाइयों के प्रमुख ALL HEADS OF CONSTITUENT UNITS OF DAE
- 2. पऊवि की सभी संघटक इकाइयों के प्रशासनिक प्रमुख ALL ADMINISTRATIVE HEADS OF CONSTITUENT UNITS OF DAE

### प्रतिलिपि Copy to:

- 1. मुख्य लेखा नियंत्रक, पऊवि CCA, DAE
- 2. निदेशक (प्रशा.), पऊवि Director(Admn.), DAE
- 3. निदेशक (पावर), पऊवि Director(Power), DAE
- 4. उप सचिव (उदयोग एवं खनिज), पऊवि Deputy Secretary(I&M), DAE
- 5. उप सचिव (आरएंडडी), पऊवि Deputy Secretary(R&D), DAE
- 6. प्रमुख, एमएसजी, पऊवि Head, MSG, DAE-एससीएस के इंट्रानेट पर इस कार्यालय ज्ञापन को अपलोड करने हेतु अनुरोध के साथ With a request to upload this OM on intranet of SCS
- 7. संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा), पऊवि JC(F&A), DAE
- 8. भ्गतान एवं लेखा अधिकारी, पऊवि Pay & Accounts Officer, DAE
- 9. पऊवि के सभी अधिकारीगण एवं अन्भाग All Officer & Sections in DAE
- 10. गार्ड फाइल Guard File

## F. No 38/37/2016-P&PW(A)(i)

### Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Pension & Pensioners' Welfare Lok Nayak Bhawan, New Delhi-110003

Dated the August, 2016

### OFFICE MEMORANDUM

Sub: Implementation of Government's decision on the recommendation of the Seventh Central Pay Commission - Revision of provisions regulating pension/gratuity/ commutation of pension/family pension/disability pension/ex-gratia lump-sum compensation, etc.

The undersigned is directed to state that in pursuance of Government's decision on the recommendation of the Seventh Central Pay Commission, the President is pleased to introduce the following modifications in the rules regulating pension, Retirement/Death/Service Gratuity, Family Pension, disability pension, ex-gratia lumpsum compensation, etc. under the CCS (Pension) Rules, 1972 and Commutation of Pension under CCS (Commutation of Pension) Rules, 1981, CCS (Extraordinary Pension) Rules, 1939, etc.

2. These orders apply to Central Government Employees governed by the CCS (Pension) Rules, 1972. Separate orders will be issued by the Ministry of Defence, Ministry of Railways and the AIS Division of the DOPT in respect of Armed Forces personnel, Railway employees and the officers of All India Services respectively on the basis of these orders.

### DATE OF EFFECT

- 3.1 The revised provisions as per these orders shall apply to Government servants who retire/die in harness on or after 1.1.2016. Separate order have been issued in respect of employees who retired/died before 1.1.2016.
- Where pension/family pension/Gratuity/Commutation of pension, etc has already been sanctioned in cases occurring on or after 1.1.2016, the same shall be revised in terms of these orders. In cases where pension has been finally sanctioned on the pre-revised orders and if it happens to be more beneficial than the pension



becoming due under these orders, the pension already sanctioned shall not be revised to the disadvantage of the pensioner in view of Rule 70 of the CCS (Pension) Rules, 1972.

### **EMOLUMENTS**

- 4.1 The term 'Emoluments' for purposes of calculating various pensionary benefits other than various kinds of Gratuity shall have the same meaning as in Rule 33 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.
- 4.2 Basic pay in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed level in the Pay Matrix with effect from 01.01.2016 but does not include any other type of pay like special pay, etc.
- 4.3 In the case of all kinds of gratuity, dearness allowance admissible on the date of retirement/death shall continue to be treated as emoluments along with the emoluments as defined in Paragraph 4.1 above.

### PENSION

- 5.1 Subject to para 5.2, there shall be no change in the provisions regulating the amount of pension as contained in Rule 49 of the CCS(Pension) Rules.
- 5.2 The amount of pension shall be subject to a minimum of Rs.9000/- and the maximum pension would be 50% of highest pay in the Government (The highest pay in the Govt. is Rs 2,50,000 with effect from 1.1.2016). The provisions of sub-rule (2) of Rule 49 of the CCS (Pension) Rules, 1972 shall stand modified to this extent.
- 5.3 The quantum of additional pension/family pension available to the old pensioners/family pensioners shall continue to be as follows:-

Age of pensioner/family pensioner	Additional quantum of pension
From 80 years to less than 85 years	20% of revised basic pension/ family pension
From 85 years to less than 90 years	30% of revised basic pension / family pension
From 90 years to less than 95 years	40% of revised basic pension / family pension
From 95 years to less than 100 years	50% of revised basic pension / family pension
100 years or more	100% of revised basic pension / family pension

The Pension Sanctioning Authorities should ensure that the date of birth and the age of a pensioner is invariably indicated in the pension payment order to facilitate payment of additional pension by the Pension Disbursing Authority as soon as it becomes due. The



amount of additional pension will be shown distinctly in the pension payment order. For example, in case where a pensioner is more than 80 years of age and his pension is Rs.10,000 pm, the pension will be shown as (i) Basic pension=Rs.10,000 and (ii) Additional pension = Rs.2,000 pm. The pension on his attaining the age of 85 years will be shown as (i).Basic Pension = Rs.10,000 and (ii) additional pension = Rs.3,000 pm.

### Retirement/ Death Gratuity

### 6.1 The rates for payment of death gratuity shall be revised as under:

Length of qualifying service	Rate of Death Gratuity
Less than One year	2 times of monthly emoluments
One Year or more but less than 5 years	6 times of monthly emoluments
5 years or more but less than 11 years	12 times of monthly emoluments
11 years or more but less than 20 years	20 times of monthly emoluments
20 years or more	Half month's emoluments for every completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of 33 times of emoluments.

Accordingly, Rule 50(1)(b) of CCS (Pension) Rules, 1972 shall stand modified to this extent.

6.2 The maximum limit of Retirement gratuity and death gratuity shall be Rs. 20 lakh. The ceiling on gratuity will increase by 25% whenever the dearness allowance rises by 50% of the basic pay. Accordingly, first proviso under Rule 50(1)(b) of CCS (Pension) Rules, 1972 shall stand modified to this extent.

### **FAMILY PENSION 1964**

- 7.1 Family pension shall be calculated at a uniform rate of 30% of basic pay in the revised pay structure and shall be subject to a minimum of Rs.9000/-p.m. and maximum of 30% of the highest pay in the Government. Rule 54(2) relating to Family Pension, 1964 under CCS (Pension) Rules, 1972 shall stand modified to this extent.
- 7.2 The amount of enhanced family pension shall be 50% of basic pay in the revised pay structure and shall be subject to a minimum of Rs.9000/-p.m. and maximum of 50% of the highest pay in the Government. (The highest pay in the Govt. is Rs. 2,50,000 with effect from 1.1.2016).
- 7.3 There will be no other change in the provisions regulating family pension, enhanced family pension and additional family pension to old family pensioners.



### COMMUTATION OF PENSION

- 8.1 There will be no change in the provisions relating to commutation values, the limit upto which the pension can be commuted or the period after which the commuted pension is to be restored.
- 9.1 The pension/family pension under para 5 and 7 above shall qualify for dearness relief sanctioned from time to time, in accordance with the relevant rules/instructions.

### FIXED MEDICAL ALLOWANCE

10.1 Fixed Medical Allowance to the pensioners who are residing in non-CGHS areas and are not availing OPD facility of CGHS shall continue to be paid at the existing rate till a final decision is taken on the basis of recommendations of the Committee constituted for the purpose.

### CONSTANT ATTENDANT ALLOWANCE

11.1 The amount of Constant Attendant Allowance to pensioners who retired on disability pension with 100% disability under the CCS (Extraordinary) Pension Rules, 1939, (where the individual is completely dependent on somebody else for day to day functions) shall continue to be paid at the existing rate till a final decision is taken on the basis of recommendations of the Committee constituted for the purpose.

### EX GRATIA LUMPSUM COMPENSATION

12.1 The amount of ex gratia lump sum compensation available to the families of Central Government Civilian employees, who die in the performance of their *bona fide* official duties under various circumstances shall be revised as under:

Circumstances	Amount
Death occurring due to accidents in course of performance of duties	25 lakh
Death in the course of performance of duties attributed to acts of violence by terrorists, anti social elements etc.	25 lakh
Death occurring in border skirmishes and action against militants, terrorists, extremists, sea pirates	35 lakh
Death occurring while on duty in the specified high altitude, unaccessible border posts, etc. on account of natural disasters, extreme weather conditions	35 lakh
Death occurring during enemy action in war or such war like engagements, which are specifically notified by Ministry of Defence and death occurring during evacuation of Indian Nationals from a war-torn zone in foreign country	45 lakh



- 13.1. Formal amendments to CCS (Pension) Rules, 1972 and CCS (Extraordinary) Pension Rules, 1939 in terms of the decisions contained in this order will be issued in due course. Provisions of the CCS (Pension) Rules 1972, CCS (Extraordinary) Pension Rules, 1939, and CCS(Commutation of Pension) Rules, 1981 which are not specifically modified by these orders, will remain unchanged.
- 14.1. These orders issue with concurrence of the Ministry of Finance Department of Expenditure vide their U.O. No. 30-1/33(c)/ 2016-IC dated 03.08.2016
- 15.1. In their application to the employees of the Indian Audit and Accounts Department, these orders issue in consultation with Comptroller and Auditor General of India.
- 16. Ministry of Agriculture etc. are requested to bring the contents of these orders to the notice of Controller of Accounts/Pay and Accounts Officers and Attached and Subordinate Offices under them on a top priority basis.

(Vandana Sharma)
Joint Secretary to the Government of India

To

- 1. All Ministries/ Departments of Government of India
- 2. Principal Director, Office of Comptroller & Auditor General of India, New Delhi
- 3. Contorller General of Accounts, New Delhi
- 4. CCA, Central Pension Accounting Office, New Delhi.

### **OFFLINE**

### Government of India Bhabha Atomic Research Centre Personnel Division

# FORM OF OPTION [Rule 6 (2)]

*1.	I,structure with effect from 1 st Janua	hereby elect the revised pay	
*2.	I,	hereby elect to continue on Pay Band officiating post mentioned below until:	
	the date of my subseque	nt increment raising my pay to	
	I vacate or cease to draw	pay in the existing pay structure	
	the date of my promotion	/ upgradation to the post of	
	Existing Pay Band and Grade Pay	':	
		Signature:	
		Name :	
		Designation:	
		CC / Emp No.:	
		Divn./Secn. :	
* To	be Scored out, if not applicable.		
	<u>UN</u>	<u>DERTAKING</u>	
shall	provisions contained in these Rules, a	ent of my pay having been fixed in a manner contrary to as detected subsquently, any excess payment so made ent either by adjustment against future payments due to	e
		Signature :	
		Name :	
		Designation: —	
		CC / Emp No.:	
Date	2 :	Place :	
То			
APO,	, Est. Section ()		